

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2019—माघ 26, शक 1940

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

राज्य शासन के आदेश  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. एफ 5-19-2016-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 5 दिसम्बर से दिनांक 7 दिसम्बर 2018 तक.	03	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 दिसम्बर 2018 एवं 9 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्र. एफ 1(ए) 151-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2018 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (पीटीआरआई) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 15 मार्च 2019 तक, सैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति करता है।

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (पीटीआरआई) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)-26-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री विवेक अग्रवाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दमोह को दिनांक 17 से 26

दिसम्बर 2018 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में कटनी, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, जयपुर, दमोह की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1	श्री विवेक अग्रवाल	—	स्वयं
2	श्रीमती विनीता	—	पत्नी
3	कुमारी मीमांसा	—	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)162-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 11 फरवरी 2019 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 फरवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(बी)-83-2014-बी-4-दो.—इस विभाग द्वारा श्री पुष्पेन्द्र सिंह की वैज्ञानिक अधिकारी (जीवविज्ञान) के पद पर नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना हेतु जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 की कण्डिका-1 की तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में त्रुटिवश अंकित "अनुपूरक सूची के स. क्र.-12 अनुक्रमांक-100767-अनुसूचित जाति-पुरुष) एवं तालिका के कॉलम (2) में त्रुटिवश अंकित लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक-15" के स्थान पर "अनुपूरक सूची के स. क्र.-14 (अनुक्रमांक-100078-अन्य पिछड़ा वर्ग-पुरुष) एवं तालिका के कॉलम (2) में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक-14 " पढ़ा जाये. समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 में शेष कण्डिकाओं में उल्लेखित प्रावधान व शर्तें यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2019

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)582—(प्रतीक्षा सूची क्र. 02).—राज्य शासन, श्री प्रियांशु पाण्डेय पुत्र श्री आशुतोष पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 03 फरवरी 1990 है.

फा. क्र. 17 (ई) 2-2019-इक्कीस-ब(एक)-103-019.—विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, (1963 का 47) की धारा 20(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को, उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात् :—

### अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अभिहित न्यायालय (2)	क्षेत्र (3)	विशेष न्यायालय (4)
01	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर.	सिविल जिला अलीराजपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, अलीराजपुर
02	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनूपपुर	सिविल जिला अनूपपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, अनूपपुर.
03	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अशोकनगर.	सिविल जिला अशोकनगर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, अशोकनगर.
04	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालाघाट.	सिविल जिला बालाघाट की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, बालाघाट.
05	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बड़वानी.	सिविल जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, बड़वानी.

(1)	(2)	(3)	(4)
06	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैतूल.	सिविल जिला बैतूल की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, बैतूल.
07	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भिण्ड.	सिविल जिला भिण्ड की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, भिण्ड.
08	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल.	सिविल जिला भोपाल की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, भोपाल.
09	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर.	सिविल जिला बुरहानपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, बुरहानपुर.
10	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, छतरपुर.	सिविल जिला छतरपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, छतरपुर.
11	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा.	सिविल जिला छिंदवाड़ा की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, छिंदवाड़ा.
12	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दमोह.	सिविल जिला दमोह की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, दमोह.
13	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दतिया.	सिविल जिला दतिया की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, दतिया.
14	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, देवास.	सिविल जिला देवास की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, देवास.
15	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डिण्डौरी.	सिविल जिला डिण्डौरी की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, डिण्डौरी.
16	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, धार.	सिविल जिला धार की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, धार.
17	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ खण्डवा.	सिविल जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, पूर्व निमाड़ खण्डवा.
18	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुना.	सिविल जिला गुना की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, गुना.
19	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर.	सिविल जिला ग्वालियर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, ग्वालियर.
20	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हरदा.	सिविल जिला हरदा की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, हरदा.

(1)	(2)	(3)	(4)
21	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद.	सिविल जिला होशंगाबाद की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, होशंगाबाद.
22	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर.	सिविल जिला इन्दौर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, इन्दौर.
23	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर.	सिविल जिला जबलपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, जबलपुर.
24	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झाबुआ.	सिविल जिला झाबुआ की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, झाबुआ.
25	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कटनी.	सिविल जिला कटनी की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, कटनी.
26	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंडला.	सिविल जिला मंडला की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, मंडला.
27	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर.	सिविल जिला मंदसौर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, मंदसौर.
28	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुरैना.	सिविल जिला मुरैना की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, मुरैना.
29	जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, नरसिंहपुर.
30	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नीमच.	सिविल जिला नीमच की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, नीमच.
31	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पन्ना.	सिविल जिला पन्ना की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, पन्ना.
32	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायसेन.	सिविल जिला रायसेन की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, रायसेन.
33	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा).	सिविल जिला राजगढ़ (ब्यावरा) की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा).
34	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रतलाम.	सिविल जिला रतलाम की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, रतलाम.
35	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रीवा.	सिविल जिला रीवा की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, रीवा

(1)	(2)	(3)	(4)
36	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सागर.	सिविल जिला सागर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, सागर.
37	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना.	सिविल जिला सतना की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, सतना.
38	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर.	सिविल जिला सीहोर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, सीहोर.
39	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिवनी.	सिविल जिला सिवनी की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, सिवनी
40	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शहडोल.	सिविल जिला शहडोल की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, शहडोल.
41	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शाजापुर.	सिविल जिला शाजापुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, शाजापुर.
42	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्योपुर.	सिविल जिला श्योपुर की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, श्योपुर.
43	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शिवपुरी.	सिविल जिला शिवपुरी की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, शिवपुरी.
44	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीधी.	सिविल जिला सीधी की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, सीधी.
45	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिंगरौली.	सिविल जिला सिंगरौली की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, सिंगरौली.
46	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़.	सिविल जिला टीकमगढ़ की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, टीकमगढ़.
47	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उज्जैन.	सिविल जिला उज्जैन की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, उज्जैन.
48	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उमरिया.	सिविल जिला उमरिया की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, उमरिया.
49	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, विदिशा.	सिविल जिला विदिशा की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, विदिशा.
50	द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.	सिविल जिला पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर. की स्थानीय सीमाएं,	विशेष न्यायालय, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.

F. No. 17(E)02-2019-XXI—B(one) 103-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 20(B) of the Specific Relief Act, 1963 (No. 47 of 1963) the State Government in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, designates the Courts specified in column (2) of the schedule below in relation to the areas specified in the corresponding entries in column (3) thereof, as Special Courts specified in column (4) of the Schedule to exercise jurisdiction and to try suits under the aforesaid Act in respect of contracts relating to infrastructure projects, namely :—

## SCHEDULE

S. No. (1)	Designated Court (2)	Area (3)	Special Court (4)
1.	II Additional District Judge, Alirajpur	Local limits of Civil District, Alirajpur	Special Court, Alirajpur.
2.	II Additional District Judge, Anoopur	Local limits of Civil District, Anoopur	Special Court, Anoopur.
3.	II Additional District Judge, Ashoknagar	Local limits of Civil District, Ashoknagar	Special Court, Ashoknagar.
4.	II Additional District Judge, Balaghat	Local limits of Civil District, Balaghat	Special Court, Balaghat.
5.	II Additional District Judge, Barwani	Local limits of Civil District, Barwani	Special Court, Barwani.
6.	II Additional District Judge, Betul	Local limits of Civil District, Betul	Special Court, Betul.
7.	II Additional District Judge, Bhind	Local limits of Civil District, Bhind	Special Court, Bhind.
8.	II Additional District Judge, Bhopal	Local limits of Civil District, Bhopal	Special Court, Bhopal.
9.	II Additional District Judge, Burhanpur	Local limits of Civil District, Burhanpur	Special Court, Burhanpur.
10.	II Additional District Judge, Chhatarpur	Local limits of Civil District, Chhatarpur	Special Court, Chhatarpur.
11.	II Additional District Judge, Chhindwara	Local limits of Civil District, Chhindwara	Special Court, Chhindwara.
12.	II Additional District Judge, Damoh	Local limits of Civil District, Damoh	Special Court, Damoh.
13.	II Additional District Judge, Datia	Local limits of Civil District, Datia	Special Court, Datia
14.	II Additional District Judge, Dewas	Local limits of Civil District, Dewas	Special Court, Dewas
15.	II Additional District Judge, Dindori	Local limits of Civil District, Dindori	Special Court, Dindori

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	II Additional District Judge, Dhar	Local limits of Civil District, Dhar	Special Court, Dhar
17.	II Additional District Judge, E. N. Khandwa	Local limits of Civil District, E. N. Khandwa	Special Court, E. N. Khandwa
18.	II Additional Sessions Judge, Guna	Local limits of Civil District, Guna	Special Court, Guna
19.	II Additional District Judge, Gwalior	Local limits of Civil District, Gwalior	Special Court, Gwalior
20.	II Additional District Judge, Harda	Local limits of Civil District, Harda	Special Court, Harda
21.	II Additional District Judge, Hoshangabad	Local limits of Civil District, Hoshangabad	Special Court, Hoshangabad
22.	II Additional District Judge, Indore	Local limits of Civil District, Indore	Special Court, Indore
23.	II Additional District Judge, Jabalpur	Local limits of Civil District, Jabalpur	Special Court, Jabalpur.
24.	II Additional District Judge, Jhabua	Local limits of Civil District, Jhabua	Special Court, Jhabua
25.	II Additional District Judge, Katni	Local limits of Civil District, Katni	Special Court, Katni
26.	II Additional District Judge, Mandla	Local limits of Civil District, Mandla	Special Court, Mandla
27.	II Additional District Judge, Mandsaur	Local limits of Civil District, Mandsaur	Special Court, Mandsaur
28.	II Additional District Judge, Morena	Local limits of Civil District, Morena	Special Court, Morena
29.	II Additional District Judge, Narsinghpur	Local limits of Civil District, Narsinghpur	Special Court, Narsinghpur
30.	II Additional District Judge, Neemuch	Local limits of Civil District, Neemuch	Special Court, Neemuch
31.	II Additional District Judge, Panna	Local limits of Civil District, Panna	Special Court, Panna
32.	II Additional District Judge, Raisen	Local limits of Civil District, Raisen	Special Court, Raisen



(1)	(2)	(3)	(4)
33.	II Additional District Judge, Rajgarh (Bioara)	Local limits of Civil District, Rajgarh (Bioara)	Special Court, Rajgarh (Bioara)
34.	II Additional District Judge, Ratlam	Local limits of Civil District, Ratlam	Special Court, Ratlam
35.	II Additional District Judge, Rewa	Local limits of Civil District, Rewa	Special Court, Rewa
36.	II Additional District Judge, Sagar	Local limits of Civil District, Sagar	Special Court, Sagar
37.	II Additional District Judge, Satna	Local limits of Civil District, Satna	Special Court, Satna
38.	II Additional District Judge, Sehore	Local limits of Civil District, Sehore	Special Court, Sehore
39.	II Additional District Judge, Seoni	Local limits of Civil District, Seoni	Special Court, Seoni
40.	II Additional District Judge, Shahdol	Local limits of Civil District, Shahdol	Special Court, Shahdol
41.	II Additional District Judge, Shajapur	Local limits of Civil District, Shajapur	Special Court, Shajapur
42.	II Additional District Judge, Sheopur	Local limits of Civil District, Sheopur	Special Court, Sheopur
43.	II Additional District Judge, Shivpuri	Local limits of Civil District, Shivpuri	Special Court, Shivpuri
44.	II Additional District Judge, Sidhi	Local limits of Civil District, Sidhi	Special Court, Sidhi
45.	II Additional District Judge, Singrauli	Local limits of Civil District, Singrauli	Special Court, Singrauli
46.	II Additional District Judge, Tikamgarh	Local limits of Civil District, Tikamgarh	Special Court, Tikamgarh
47.	II Additional District Judge, Ujjain	Local limits of Civil District, Ujjain	Special Court, Ujjain
48.	II Additional District Judge, Umaria	Local limits of Civil District, Umaria	Special Court, Umaria
49.	II Additional District Judge, Vidisha	Local limits of Civil District, Vidisha	Special Court, Vidisha
50.	II Additional District Judge, W. N. Mandleshwar	Local limits of Civil District, W. N. Mandleshwar	Special Court, W. N. Mandleshwar

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2019

फा. क्र. 656-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये निम्नलिखित विधि पदाधिकारीगण :-

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

1. श्री वीर कुमार जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता
2. श्री अभिनव पी. धनोदकर, उप महाधिवक्ता

को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपरलोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 871-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/गवालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 1 फरवरी 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल श्रमण से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन करता है :-

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर  
शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

क्र. (1)	नाम (2)	नामांकन क्रमांक (3)
1	श्री अजय कुमार मिश्रा	2885/2000
2	श्री महेन्द्र चौबे	1100/2001
3	श्री करुणानंदी बुंदेला	1644/2010
4	श्री भूपेश तिवारी	206/2009
5	श्री संदीप सिंह बघेल	1261/1998
6	श्री राज बहोर सिंह चौहान	1015/2000
7	श्री विकल्प सोनी	13/2006
8	श्री रोहित सहोमरा	1044/2007
9	श्री जे. के. पिल्लई	822/2003
10	श्रीमती गुलाब कली पटेल	3827/2004
11	श्री ईशान मेहता	3790/2010
12	श्री परितोष गुप्ता	1479/2004
13	श्री सोम मिश्रा	1850/2001
14	श्री प्रत्यूष त्रिपाठी	820/2009
15	श्री जावेद अरशी शाह	1474/2003
16	श्री प्रभात कुमार सिंह	3456/1996
17	श्री मकबूल खान	1406/2003
18	श्री अतुल नेमा	246/1999
19	श्री हरजश सिंह छावड़ा	2782/2010
20	श्री प्रदीप शर्मा	433/1991
21	श्री हिमांशु मिश्रा	2759/2008
22	श्री समर्थ अवस्थी	2163/2011
23	श्री मधुर शुक्ला	2158/2011

(1)	(2)	(3)
24	श्री प्रवीण कुमार चतुर्वेदी	1974/1995
25	श्री सुनील कुमार वर्मा	1022/1990
26	श्री कुलदीप सिंह	2670/1997
27	श्री शमीम अहमद खान	2518/1999
28	श्री ए. टी. फरीदी	1994/1995
29	श्रीमती शिखा सिंह चौहान	1466/2011
30	श्री शशांक उपाध्याय	1738/2001
31	श्री सलीम रहमान	1245/2001
32	श्री सत्येन्द्र ज्योतिषी	352/2005
33	श्री अंकित अग्रवाल	1858-ए/2006
34	श्री अभय पांडे	1472/2005
35	श्री मनीष वर्मा	2240/1996
36	श्री विवेक रंजन पांडे	1570/2001
37	श्री वृन्दावन तिवारी	644/2002
38	श्री हरे कृष्ण उपाध्याय	1399/1998
39	मो. रिजवान खान	2876/2006
40	श्री राजेश कुमार तिवारी	1860/1997
41	श्री आशीष तिवारी	3330/2002
42	श्री सौरभ सुंदर	1887/2008
43	श्री वैभव सक्सेना	1417/2003
44	श्रीमती अंजना कुरारिया	-
45	श्री रविकांत पाटीदार	996/2012
46	श्री दिलीप पांडे	-
47	श्री एस. बी. अग्निहोत्री	-
48	निधि वर्मा	-
49	श्री आर. के. त्रिपाठी	-
50	श्री अखिल सिंह	-
51	श्री संजय पी. आर. मिश्रा	-
52	श्री अर्पित तिवारी	-
53	देविका सिंह ठाकुर	-
54	श्री सत्यप्रकाश मिश्रा	-
55	श्री चन्द्रभान सिंह	-

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर  
उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

क्र. (1)	नाम (2)	नामांकन क्रमांक (3)
1	श्री विशाल यादव	4156/2010
2	श्री कुश सिंह	2314/1998
3	श्री दीपक सिंह	4134/2010

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर  
शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर

क्र. (1)	नाम (2)	नामांकन क्रमांक (3)
1	श्री आकाश शर्मा	2781/2000
2	श्री अभिषेक दुग्नावत	1659/2004

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3	श्री अमोल श्रीवास्तव	1858/2011	6	श्री रामकृष्णा उपाध्याय	1335/2000
4	श्री सौरभ श्रीवास्तव	2413/1999	7	श्री आनंद भारद्वाज	1185/2004
5	श्री गौरव वर्मा	328/2005	8	श्री फैसल अली शाह	1940/1996
6	श्री लोकेश मेहता	5154/2000	9	श्री सोमनाथ सेठ	2227/1997
7	श्री विनय गांधी	783/2008	10	श्री प्रतीप कुमार विसोरिया	2130/2001
8	श्री अनिल ओझा	-	11	श्री राजीव शर्मा	390/2006
9	श्री योगेश कुमार गुप्ता	3115/2004	12	श्री रामकृष्णा सोनी	501/1990
10	श्री राहुल विजयवर्गीय	1279/2001	13	अनुराधा सिंह	1791/2002
11	श्री मनीष वर्मा	423/2006	14	श्री पवन सिंह रघुवंशी	1290/2007
12	श्री एल. एस. चांदीरमानी	2027/1993	15	श्री भंवर सिंह भदौरिया	2251/1996
13	श्री मंयक पुरोहित	2133/2003	16	श्री आदित्य सिंह घुरिया	3507/2004
14	श्री अक्षत पहाड़िया	-	17	श्री वरूण कौशिक	2626/2007
15	श्री रघुवीर सिंह दरबार	1745/2006	18	श्री शुशांत तिवारी	-
16	श्री संदीप मेहता	-	19	श्री क्षितीज शर्मा	-
17	विनीति जय हार्डिया	1840/2001	20	श्री राजकुमार मिश्रा	64/2007
18	श्री पवन शर्मा	-	21	श्री संजीव कुमार मिश्रा	2622/2007
19	श्री अरविंद शर्मा	2692/2003	22	श्री अंकित सक्सेना	3296/2005
20	श्री परेश जोशी	-	23	श्री रविन्द्र शर्मा	1655/2009
21	श्री निशित विशारत	-	24	श्री मुकेश शर्मा	2377/2003
22	श्री लोकेश भार्गव	-	25	श्री ऋषिकेश दत्त मिश्रा	424/1994
23	साधना पाठक	-	26	श्री विक्रान्त शर्मा	-
24	श्री अरविंद यादव	981/1986	27	श्री मनोज द्विवेदी	-
25	श्री विकास यादव	3194/2000	28	गायत्री सर्वे	-
26	श्री निलेश पटेल	-	29	श्री आलोक शर्मा	-
27	श्री अंकित खरे	-	30	श्री संजय बहरानी	-
28	श्री अंबर पारे	-			
29	श्री रविन्द्र कुमार पाठक	5116/2000			

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर  
उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर  
उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर

क्र.	नाम	नामांकन क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री शिशिर पुरोहित	2818/2010
2	श्री नीलेश जगताप	-
3	श्री परेश जोशी	-

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर  
शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

क्र.	नाम	नामांकन क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेन्द्र जैन	615/1987
2	श्री मदन मोहन त्रिपाठी	1603/1997
3	श्री सत्येन्द्र सिंह राजपूत	2323/1997
4	श्री महेन्द्र सिंह रावत	1722/2000
5	श्री पुरूषोत्तम पांडे	2342/1996

क्र.	नाम	नामांकन क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री रविशंकर गुप्ता	2768/2002
2	श्री रविशंकर बंसल	1801/2002

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2019

फा. क्र. 921-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवचरण पाण्डे, उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

फा. क्रमांक 1577-इक्कीस (ब-दो) 2019

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

राज्य शासन एतद द्वारा मे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2951/21(ब-दो)/16, दिनांक 12.8.16 की सारणी के सरल क्रमांक-14(4), 14(5) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला-गुना की तहसील कुभरांज से चाचौडा, जिला-गुना स्थानांतरित किये जाने के पश्चात कुभरांज एवं चाचौडा मे नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है :-

स.कं.	जिला/तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	नवीन आवंटित पद	घटाई गये पदों की संख्या	बढाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
1	2	3		4	5	6
14(5)	कुभराज (गुना)	03	01	01	0	03
14(4)	चाचौडा (गुना)	05	01	-	01	07

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-शक्ति-2018-19-112

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि., कौड़िया, जिला-नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	78	8760.29
	कुल		78	8760.29

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.****Sugar Cane Crushing Season - 2018-19****Zone - 01 Koudiya ✓✓**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (KM)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓1	Koudiya	3	272	195.14	161.54	628.34	Factory Gate
✓2	kenkara	7	89	60.32	59.92	208.91	Factory Gate
✓3	Barheta	8	55	32.39	34.82	122.67	Factory Gate
✓4	Bareli	9	74	41.30	34.01	149.80	Factory Gate
✓5	Kajrota	9	51	32.39	37.65	121.46	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>542</b>	<b>361.54</b>	<b>327.94</b>	<b>1,231.17</b>	✓

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजडी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**Zone - 02 Chirhkla ✓**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓1	Chirhkla	10	89	66.80	24.70	180.16	Factory Gate
✓2	Chamchoun	12	52	34.01	12.15	97.98	Factory Gate
✓3	Khapa	13	21	34.01	14.17	68.83	Factory Gate
✓4	Bagadara	14	62	44.53	17.00	123.89	Factory Gate
✓5	Sangai	16	15	10.53	4.45	30.36	Factory Gate
✓6	Dhokheda	15	44	25.10	25.51	94.33	Factory Gate
✓7	Mahua kheda	18	11	11.34	5.67	27.53	Factory Gate
✓8	Nimach	24	18	2.43	2.83	23.08	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>311</b>	<b>229</b>	<b>106</b>	<b>646</b>	✓

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजडी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

## Zone - 03 Sukari ✓

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓ 1	Sadumar	11	183	158.70	161.13	502.43	Factory Gate
✓ 2	Chirriya	5	162	78.14	76.11	316.60	Factory Gate
<del>3</del>	<del>Kothiya</del>	<del>14</del>	<del>20</del>	<del>19.43</del>	<del>14.57</del>	<del>54.25</del>	<del>Factory Gate</del>
✓ 4	Manhangva	7	75	51.01	46.96	173.28	Factory Gate
✓ 5	sukari	6	41	74.49	44.13	159.92	Factory Gate
✓ 6	gunvey	9	44	38.46	21.05	103.24	Factory Gate
✓ 7	Lilwani	10	12	8.91	0.81	21.86	Factory Gate
✓ 8	Imaliya sukri	8	36	29.96	20.24	86.23	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>574</b>	<b>459</b>	<b>385</b>	<b>1,418</b>	

हाताक्ष - 54.25

= 1363.75

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजडी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।



**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.****Sugar Cane Crushing Season - 2018-19**

Zone - 04 Paloha

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓ 1	Paloha	19	126	117.41	60.73	303.64	Factory Gate
✓ 2	Khairi (paloha)	17	97	104.86	40.08	242.11	Factory Gate
✓ 3	Richhawar	24	13	6.07	4.45	23.89	Factory Gate
✓ 4	Amoda	25	42	42.51	11.74	95.95	Factory Gate
✓ 5	Timrawan	25	25	15.79	3.24	43.72	Factory Gate
<del>6</del>	<del>Bhatera</del>	<del>22</del>	<del>31</del>	<del>28.34</del>	<del>12.96</del>	<del>72.47</del>	<del>Factory Gate</del>
✓ 7	Karjunagar		30	24.29	18.62	72.47	Factory Gate
<del>8</del>	<del>Bichhua</del>	24	15	31.17	4.45	51.01	Factory Gate
<del>9</del>	<del>Narwara</del>	23	21	21.46	18.22	60.73	Factory Gate
✓ 10	Khakariya	16	47	61.94	28.74	138.06	Factory Gate
✓ 11	Gujarkheda	18	15	24.29	7.69	46.96	Factory Gate
✓ 12	Thareri	25	12	13.77	4.45	29.96	Factory Gate
✓ 13	Bhaisa	15	99	80.97	62.75	242.91	Factory Gate
✓ 14	Gujarjhiriya	13	68	67.21	27.53	163.16	Factory Gate
✓ 15	Atthaisa	13	57	61.13	31.98	150.20	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>698</b>	<b>701</b>	<b>338</b>	<b>1,737</b>	

अभाव्य - 111.74

= 1625.21

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजडी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

## SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 05 Bohani ✓

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓1	Bohani	5	180	167.61	139.27	487.04	Factory Gate
✓2	Amai	8	13	11.74	10.93	36.03	Factory Gate
✓3	Rahali	8	53	42.11	36.44	131.17	Factory Gate
✓4	Nayaganv	9	69	49.39	38.87	157.49	Factory Gate
✓5	Lakha	10	17	13.36	10.12	40.49	Factory Gate
✓6	Supari	13	30	29.96	26.72	86.64	Factory Gate
✓7	Denguva	14	69	42.11	53.04	164.37	Factory Gate
✓8	Tinguva	16	6	4.86	4.05	15.38	Factory Gate
✓9	Salaiya	18	22	14.98	10.53	47.77	Factory Gate
✓10	Behra	25	2	2.43	2.02	6.48	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>462</b>	<b>379</b>	<b>332</b>	<b>1,173</b>	✓

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजडी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।



**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.****Sugar Cane Crushing Season - 2018-19****Zone - 06 Manakwara**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓1	Manakwara	8	56	49.80	29.15	134.82	Factory Gate
✓2	Baranjh	7	66	60.32	34.01	160.73	Factory Gate
✓3	Gaganwara	9	14	5.26	7.69	26.72	Factory Gate
✓4	Bamhori manak.	9	22	25.51	23.89	71.66	Factory Gate
✓5	Matwara	11	19	22.67	19.03	60.32	Factory Gate
✓6	Purguva	11	25	22.27	25.91	73.28	Factory Gate
✓7	Tekapar	13	33	26.32	15.79	75.30	Factory Gate
✓8	Sihora	13	54	27.53	29.15	110.93	Factory Gate
✓9	Harrai	15	15	12.55	8.10	36.03	Factory Gate
✓10	Ghatpipariya	8	56	44.94	27.13	128.34	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>361</b>	<b>297</b>	<b>220</b>	<b>878</b>	

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजडी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.****Sugar Cane Crushing Season - 2018-19****Zone - 07 Ajansara**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जड़ी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
✓ 1	Ajansara	17	47	30.36	25.10	102.83	Factory Gate
✓ 2	ChirChira	10	20	19.43	8.91	48.18	Factory Gate
✓ 3	Marka	11	17	19.43	8.10	44.94	Factory Gate
<del>✓ 4</del>	<del>Khiriya</del>	<del>13</del>	<del>13</del>	<del>8.50</del>	<del>5.26</del>	<del>26.32</del>	<del>Factory Gate</del>
✓ 5	Sujwara	10	6	16.19	10.53	32.79	Factory Gate
✓ 6	Budhwara	17	34	35.63	31.58	101.21	Factory Gate
✓ 7	Dhadiya	11	63	51.42	42.51	157.09	Factory Gate
✓ 8	Dudhwara	16	6	5.26	4.86	16.19	Factory Gate
✓ 9	Sherbaranjh	17	30	23.89	16.60	70.04	Factory Gate
<del>X-10</del>	<del>Garha</del>	<del>20</del>	<del>50</del>	<del>68.83</del>	<del>59.51</del>	<del>178.54</del>	<del>Factory Gate</del>
	<b>Total</b>		<b>286</b>	<b>279</b>	<b>213</b>	<b>778</b>	Factory Gate

शुभान्य - 204.86

= 573.14

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.**

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

**Zone - 08 Panari**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जड़ी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
<del>1</del>	<del>Panari</del>	<del>13</del>	<del>44</del>	<del>40.49</del>	<del>51.01</del>	<del>135.22</del>	<del>Factory Gate</del>
<del>2</del>	<del>Nargi</del>	<del>16</del>	<del>55</del>	<del>42.91</del>	<del>38.06</del>	<del>136.03</del>	<del>Factory Gate</del>
3	Imaliya kalyanpu	21	34	39.68	24.29	97.57	Factory Gate
<del>4</del>	<del>Thuti</del>	<del>16</del>	<del>18</del>	<del>18.22</del>	<del>15.79</del>	<del>52.23</del>	<del>Factory Gate</del>
5	Malhanwara	14	43	32.39	22.67	97.57	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>193</b>	<b>174</b>	<b>152</b>	<b>519</b>	

कुल योग - 323.48  
= 198.52

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.**

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

**Zone - 09 Gadarwara**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जड़ी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
1	Gadarwara	10	45	31.17	27.94	104.45	Factory Gate
2	Imaliya patlon	12	13	8.10	10.53	31.98	Factory Gate
3	Patlon	13	3	1.21	1.21	5.67	Factory Gate
<del>4</del>	<del>Magarmuha</del>	<del>16</del>	<del>26</del>	<del>15.38</del>	<del>17.41</del>	<del>58.70</del>	<del>Factory Gate</del>
<del>5</del>	<del>Dighori</del>	<del>17</del>	<del>25</del>	<del>11.34</del>	<del>15.38</del>	<del>51.82</del>	<del>Factory Gate</del>
<del>6</del>	<del>Khairi sudras</del>	<del>18</del>	<del>53</del>	<del>44.53</del>	<del>40.49</del>	<del>138.46</del>	<del>Factory Gate</del>
7	DHOORPUR (PAT)	16	26	15.79	11.74	53.44	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>192</b>	<b>128</b>	<b>125</b>	<b>445</b>	

कुल योग - 248.98  
= 196.02

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.**

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

**Zone - 10 Kanhargany**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जड़ी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
1	Kanhargany	16	118	70.85	62.35	251.01	Factory Gate
2	Mahangva kda	18	52	28.65	26.72	99.60	Factory Gate
3	Mahangva khurd	18	9	7.69	2.43	19.43	Factory Gate
4	Sireganv	20	13	9.72	10.53	33.60	Factory Gate
5	Thalwada	18	40	24.29	27.13	91.50	Factory Gate
6	Jamada	14	23	10.53	11.74	44.94	Factory Gate
7	Dahalwada	18	11	4.45	10.93	26.32	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>266</b>	<b>148</b>	<b>152</b>	<b>566</b>	

कुल योग - 487.44

= 78.54

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.**

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

**Zone - 11 Singhpur**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जड़ी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	Purchase Center
1	Singhpur	30	31	19.03	26.72	76.52	Factory Gate
2	Bareli	16	13	10.53	8.50	31.58	Factory Gate
3	Imaliya pipariya	24	39	42.51	28.34	110.12	Factory Gate
4	Pipariya	25	23	29.96	21.46	74.09	Factory Gate
5	Kathotiya	18	52	59.92	42.11	154.25	Factory Gate
6	Golganv	25	10	14.98	9.72	34.82	Factory Gate
7	Bhamka	22	12	15.38	15.38	42.91	Factory Gate
8	Adeganv	28	10	7.69	13.77	31.17	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>189</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	<b>555</b>	

कुल योग - 76.52

= 478.48

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.****Sugar Cane Crushing Season - 2018-19****Zone - 12 Gardha**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Distance (दूरी)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जड़ी)	Ratoon 2 (मड़ी)	Total (योग)	Purchase Center
✓ 1	Gardha	17	49	28.34	22.67	99.60	Factory Gate
✓ 2	Bamhori gardha	21	100	77.73	93.93	271.66	Factory Gate
✓ 3	Niwari	19	23	17.41	25.10	65.59	Factory Gate
✓ 4	Khiriya	20	22	14.98	22.27	59.51	Factory Gate
	<b>Total</b>		<b>194</b>	<b>138</b>	<b>164</b>	<b>496</b>	

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

**SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD.****Sugar Cane Crushing Season - 2018-19**

Sr. No.	Village Name (ग्राम)	Plant (नोरपा)	Ratoon 1 (जडी)	Ratoon 2 (मडी)	Total (योग)	✓ Purchase Center
✓1	Koudiya	272	195.14	161.54	628.34	Factory Gate
✓2	kenkara	89	60.32	59.92	208.91	Factory Gate
✓3	Barheta	55	32.39	34.82	122.67	Factory Gate
✓4	Bareli	74	41.30	34.01	149.80	Factory Gate
✓5	Kajrota	51	32.39	37.65	121.46	Factory Gate
✓6	Chirhkla	89	66.80	24.70	180.16	Factory Gate
✓7	Chamchoun	52	34.01	12.15	97.98	Factory Gate
✓8	Khapa	21	34.01	14.17	68.83	Factory Gate
✓9	Bagadara	62	44.53	17.00	123.89	Factory Gate
✓10	Sangai	15	10.53	4.45	30.36	Factory Gate
✓11	Dhokheda	44	25.10	25.51	94.33	Factory Gate
✓12	Mahua kheda	11	11.34	5.67	27.53	Factory Gate
✓13	Nimach	18	2.43	2.83	23.08	Factory Gate
✓14	Sadumar	183	158.70	161.13	502.43	Factory Gate
✓15	Chirriya	162	78.14	76.11	316.60	Factory Gate
16	<del>Kothiyaa</del>	<del>20</del>	<del>19.43</del>	<del>14.57</del>	<del>54.25</del>	<del>Factory Gate</del>
✓17	Manhangva	75	51.01	46.96	173.28	Factory Gate
✓18	sukari	41	74.49	44.13	159.92	Factory Gate
✓19	gunvey	44	38.46	21.05	103.24	Factory Gate

2/1/19

✓20	Lilwani	12	8.91	0.81	21.86	Factory Gate
✓21	Imaliya sukri	36	29.96	20.24	86.23	Factory Gate
✓22	Paloha	126	117.41	60.73	303.64	Factory Gate
✓23	Khairi (paloha)	97	104.86	40.08	242.11	Factory Gate
✓24	Richhwar	13	6.07	4.45	23.89	Factory Gate
✓25	Amoda	42	42.51	11.74	95.95	Factory Gate
✓26	Timrawan	25	15.79	3.24	43.72	Factory Gate
<del>27</del>	<del>Bhatera</del>	<del>31</del>	<del>28.34</del>	<del>12.96</del>	<del>72.47</del>	<del>Factory Gate</del>
✓28	Karjunagar	30	24.29	18.62	72.47	Factory Gate
<del>29</del>	<del>Bichhua</del>	<del>15</del>	<del>31.17</del>	<del>4.45</del>	<del>51.01</del>	<del>Factory Gate</del>
<del>30</del>	<del>Narwara</del>	<del>21</del>	<del>21.46</del>	<del>18.22</del>	<del>60.73</del>	<del>Factory Gate</del>
✓31	Khakariya	47	61.94	28.74	138.06	Factory Gate
✓32	Gujarkheda	15	24.29	7.69	46.96	Factory Gate
✓33	Thareri	12	13.77	4.45	29.96	Factory Gate
✓34	Bhaisa	99	80.97	62.75	242.91	Factory Gate
✓35	Gujarjhiriya	68	67.21	27.53	163.16	Factory Gate
✓36	Atthaisa	57	61.13	31.98	150.20	Factory Gate
✓37	Bohani	180	167.61	139.27	487.04	Factory Gate
✓38	Amai	13	11.74	10.93	36.03	Factory Gate
✓39	Rahali	53	42.11	36.44	131.17	Factory Gate
✓40	Nayaganv	69	49.39	38.87	157.49	Factory Gate
✓41	Lakha	17	13.36	10.12	40.49	Factory Gate
✓42	Supari	30	29.96	26.72	86.64	Factory Gate
✓43	Denguva	69	42.11	53.04	164.37	Factory Gate

2764-25

✓44	Tinguva	6	4.86	4.05	15.38	Factory Gate
✓45	Salaiya	22	14.98	10.53	47.77	Factory Gate
✓46	Behra	2	2.43	2.02	6.48	Factory Gate
✓47	Manakwara	56	49.80	29.15	134.82	Factory Gate
✓48	Baranjh	66	60.32	34.01	160.73	Factory Gate
✓49	Gaganwara	14	5.26	7.69	26.72	Factory Gate
✓50	Bamhori manak.	22	25.51	23.89	71.66	Factory Gate
✓51	Matwara	19	22.67	19.03	60.32	Factory Gate
✓52	Purguva	25	22.27	25.91	73.28	Factory Gate
✓53	Tekapar	33	26.32	15.79	75.30	Factory Gate
✓54	Sihora	54	27.53	29.15	110.93	Factory Gate
✓55	Harrai	15	12.55	8.10	36.03	Factory Gate
✓56	Ghatpipariya	56	44.94	27.13	128.34	Factory Gate
✓57	Ajansara	47	30.36	25.10	102.83	Factory Gate
✓58	ChirChira	20	19.43	8.91	48.18	Factory Gate
✓59	Marka	17	19.43	8.10	44.94	Factory Gate
<del>✓60</del>	<del>Khiriya</del>	<del>13</del>	<del>8.50</del>	<del>5.26</del>	<del>26.32</del>	<del>Factory Gate</del>
✓61	Sujwara	6	16.19	10.53	32.79	Factory Gate
✓62	Budhwara	34	35.63	31.58	101.21	Factory Gate
✓63	Dhadiya	63	51.42	42.51	157.09	Factory Gate
✓64	Dudhwara	6	5.26	4.86	16.19	Factory Gate
✓65	Sherbaranjh	30	23.89	16.60	70.04	Factory Gate
<del>✓66</del>	<del>Garha</del>	<del>50</del>	<del>68.83</del>	<del>59.51</del>	<del>178.54</del>	<del>Factory Gate</del>
<del>✓67</del>	<del>Panari</del>	<del>44</del>	<del>40.49</del>	<del>51.01</del>	<del>135.22</del>	<del>Factory Gate</del>

1521.03



<del>68</del>	<del>Nargi</del>	<del>55</del>	<del>42.91</del>	<del>38.06</del>	<del>136.03</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
69	Imaliya kalyanpur	34	39.68	24.29	97.57	Factory Gate	
<del>70</del>	<del>Thuti</del>	<del>18</del>	<del>18.22</del>	<del>15.79</del>	<del>52.23</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
71	Malhanwara	43	32.39	22.67	97.57	Factory Gate	
72	Gadarwara	45	31.17	27.94	104.45	Factory Gate	
73	Imaliya patlon	13	8.10	10.53	31.98	Factory Gate	
74	Patlon	3	1.21	1.21	5.67	Factory Gate	
<del>75</del>	<del>Magarmuha</del>	<del>26</del>	<del>15.38</del>	<del>17.41</del>	<del>58.70</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
<del>76</del>	<del>Dighori</del>	<del>25</del>	<del>11.34</del>	<del>15.38</del>	<del>51.82</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
<del>77</del>	<del>Khairi sudras</del>	<del>53</del>	<del>44.53</del>	<del>40.49</del>	<del>138.46</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
78	DHOORPUR (PATLON)	26	15.79	11.74	53.44	Factory Gate	
<del>79</del>	<del>Kanharganv</del>	<del>118</del>	<del>70.85</del>	<del>62.35</del>	<del>251.01</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
<del>80</del>	<del>Mahangva kta</del>	<del>52</del>	<del>20.65</del>	<del>26.72</del>	<del>99.60</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
<del>81</del>	<del>Mahangva khurd</del>	<del>9</del>	<del>7.69</del>	<del>2.43</del>	<del>19.43</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
82	Sireganv	13	9.72	10.53	33.60	Factory Gate	
<del>83</del>	<del>Thalwada</del>	<del>40</del>	<del>24.29</del>	<del>27.13</del>	<del>91.50</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
84	Jamada	23	10.53	11.74	44.94	Factory Gate	
<del>85</del>	<del>Dahalwada</del>	<del>11</del>	<del>4.45</del>	<del>10.93</del>	<del>26.32</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
<del>86</del>	<del>Singhpur</del>	<del>31</del>	<del>19.03</del>	<del>26.72</del>	<del>76.52</del>	Factory Gate	<del>उत्तर</del>
87	Bareli	13	10.53	8.50	31.58	Factory Gate	
88	Imaliya pipariya	39	42.51	28.34	110.12	Factory Gate	
89	Pipariya	23	29.96	21.46	74.09	Factory Gate	
90	Kathotiya	52	59.92	42.11	154.25	Factory Gate	
91	Golganv	10	14.98	9.72	34.82	Factory Gate	

0 &gt; 1.08

21/5

<del>92</del>	<del>Bhamka</del>	<del>12</del>	<del>15.38</del>	<del>15.38</del>	<del>42.91</del>	<del>Factory Gate</del>
✓93	Adeganv	10	7.69	13.77	31.17	Factory Gate
✓94	Gardha	49	28.34	22.67	99.60	Factory Gate
✓95	Bamhori gardha	100	77.73	93.93	271.66	Factory Gate
✓96	Niwari	23	17.41	25.10	65.59	Factory Gate
<del>97</del>	<del>Khiriya</del>	<del>22</del>	<del>14.98</del>	<del>22.27</del>	<del>59.51</del>	<del>Factory Gate</del>
	Total	4,270	3,493	2,680	10,443	

2 नोटा 80

अभाव - 539 - 1446.96  
= 8996.02  
2 नोटा 8996.02

नोट:-

- नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।  
जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।  
त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।



8760.29

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2019

क्रमांक: एफ 4(ई)-5/2012/ए-16, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा श्री आशुतोष अवस्थी को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः "श्रम आयुक्त" तथा "मुख्य सुलहकार" नियुक्त करता है।

No. F 4(E)-5/2012/XVI, In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 and Sub-section (1) of section 4 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960), in supersession of all the previous notifications in this respect, the State Government hereby, appoints Shri Ashutosh Awasthi to be the "Commissioner of Labour" and "Chief Conciliator" respectively for the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मालसिंह, अपर सचिव.

**राजस्व विभाग**  
**कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,**  
**मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक 349-भू-अर्जन-2019

होशंगाबाद, दिनांक 13 फरवरी 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची सूची क्रमांक-1**

ग्राम सोनासावरी		तहसील इटारसी		जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा		अर्जित रकबा	
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	314.144		0.360	
<b>योग</b>		<b>314.144</b>		<b>0.360</b>	

**अनुसूची क्रमांक-2**

**ग्राम घाटली**

क्र०	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	कृष्ण कुमार वल्द रामकिशोर	21/1, 21/2	0.636	0.360	--
<b>योग</b>			<b>0.636</b>	<b>0.360</b>	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्रमांक 2-अ-82-2018-19

रायसेन, दिनांक 13 फरवरी 2019

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुरा	पिपरिया पुआरिया, बग्होरी भुआरी, घाना बहेड़िया, बेरखेड़ी, तिखावन, शाहपुरा, निवाड़ी, भाड़ोन, केतोघान, खाड़ोन, आंवरिया, सिहोरा दुगरिया	6.329	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की भुवारा उप नहर एवं छातैर उप नहर हेतु

**अनुसूची-2**

**(प्रभावित धारकों की सूची)**

बारना विस्तारीकरण मध्यम सिंचाई परियोजना में ग्राम भुआरा की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र कुमार आ. रूपसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	436	1.238	0.087
2	यशवंत सिंह आ. रूप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	434	0.930	0.035
3	आयुष ना.वा.आ. नारायण सिंह सं. पिता नारायण सिंह जाति किरार	507/3/2	0.821	0.043

4	हेमलता वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वाम	504/2/2	0.821	0.001
5	राधेश्याम आ. रमेश प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	519/2	1.218	0.044
6	चैन सिंह आ. प्रताप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	518/2/2	0.497	0.058
7	सुरेश कुमार आ. गुलाबचंद जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी	564	0.995	0.002
8	मान सिंह आ. किशोरीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	146/1	1.821	0.001
9	तेजराम आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/5/1	0.174	0.022
10	रवि आ. वीरेन्द्र सिंह जाति किरार - निवासी ग्राम भू स्वामी	133/5/2	0.174	0.027
11	रमको वाई वेवा भगवत, गंगाराम, बाबूलाल मुन्नालाल, मुन्नीवाई, गुडडी वाई आ. भगवत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/6	1.231	0.032
12	देवीसिंह आ. सूरतसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	482	1.153	0.184
13	भगवान सिंह आ. अजुद्धी प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	409 407/1/2 407/2 408/2 407/3	0.886 0.032 0.405 0.166 0.405	0.013 0.002 0.016 0.011 0.018
14	भगवान सिंह आ. अजुद्धी प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	408/1	0.170	0.032
15	गोविन्द्र सिंह आ. हरीसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	407/1/1 402/2/2/2	0.105 0.267	0.005 0.003
16	विपिन आ. भगवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	400/2 401/2-	0.405 0.202	0.004 0.019
17	लक्ष्मण दास आ. लल्लूदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	402/1	0.449	0.016
18	लक्ष्मण दास आ. लल्लूदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	402/2/1 402/2/2/1	0.809 0.809	0.015 0.001

19	श्री रामजानकी मंदिर पिपरिय पुआरिया पुजारी लल्लूदास बैरागी व्यावस्थापक श्री मान जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन	369	2.197	0.091
20	सिद्धार्थ आ. देवीसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	368/2/2	1.311	0.011
21	देवी सिंह आ. तुलसीराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	367/1/1	0.809	0.058
22	हरिसिंह आ. नन्हेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	512/3	0.934	0.066
23	राजेन्द्र सिंह आ. हृदयराम जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	234/1/2/1	0.809	0.162
24	जसमन सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	17/3	0.178	0.038
25	अजव सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	71/1	1.214	0.082
26	जसमन सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	71/2	0.963	0.079
27	तुलाराम आ. गनपत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	132/1/1/1	0.225	0.070
28	श्रीगोस्वामी वल्लवलाल जी मंदिर दाऊंजी मंदिर होशंगाबाद प्रबंधक जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन देवस्थान	126	1.129	0.083
29	प्रहलादसिंह आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी	12/1/1	1.316	0.084
30	रमेशचन्द्र आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी	12/1/2	0.303	0.028
31	परषोत्तम, गोपाल सिंह आ. मिहीलाल, रामेती वाई, संतोषीवाई, गंगावाई आ. मिहीलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी	9/3	1.619	0.076
32	अम्बिका प्रसाद आ. फूलचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	77/1/2	0.891	0.007
33	जयवन्ती वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	113/1	0.809	0.053
34	कोमलप्रसाद आ. शदीलाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	109/4	1.775	0.117

35	नारायण सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	222/1/1	0.737	0.033
36	देवीसिंह आ. हल्के कलीवाई, हल्के भैया, द्रोपती वाई, सावित्री वाई, किस्सोवाई, शीला, विनीता 1/2 पुत्री हल्के निवासी ग्राम भू स्वामी	240	2.489	0.060
37	तुलसा वाइ वेवा कोमलसिंह, कस्तूरवा, गंगावाई, भरोजी वाई पुत्रीयां कोमल सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	249/2	0.202	0.020
38	विधावाई पत्नि रामगोपाल जाति मेहरा निवासी जबलपुर भू स्वामी	166/4	0.809	0.006
39	आनंद कुंवर वेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	122/1/2	1.039	0.007
40	पूरनसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवसी गायव्यान भू स्वमी	121/1 109/4	2.917 0.608	0.026 0.077
41	कौशलेन्द्र आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	103/2	1.214	0.054
42	सुरजीत सिंह आ. दिलीप सिंह जाति राजपूत निवसी गायव्यान भू स्वामी	97/1	3.034	0.097
43	शिवपाल आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	98	1.104	0.077
44	रघुराजसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	100	2.711	0.148
45	छोटेसिंह उर्फ कोमल सिंह आ. साहब सिंह जाति राजपूत	102	2.714	0.002
46	सम्पत वाई वेवा साहब सिंह, गिरवर सिंह, बैनी सिंह, मोहन सिंह आ. साहब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी	101	2.687	0.112

47	सुमन वाई पत्नि कौशलेन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी	109/2	1.214	0.002
48	रघुराजसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	109/5	1.619	0.077
49	बैजन्ती वाई वेवा मेहरवान सिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	43/1/1/1	0.223	0.010
50	गौरीशकर, रमेश प्रसाद, रामसेवक आ. दमोदर प्रसाद, केशव प्रसाद, रामगोपाल, शनत कुमार, मुन्ना भैया आ. जमना प्रसाद, सरजूवाई, प्रभावाई, राधा वाई, कोशलया वाई पुत्री दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	202	1.850	0.101
51	रूप सिंह, भगवान सिंह ना.वा. आ. शंकर सिंह संरक्षक पिता स्वयं जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	199	0.271	0.040
52	ग्याप्रसाद आ. देवी सिंह जाति गौड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	321/1/1/1	1.043	0.001
53	रजनी पत्नि बल्लभदास जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी	111	2.189	0.193
54	पूजा पत्नि गोविन्द्र जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी	112/2 113/2/1	1.375 1.369	0.062 0.082
55	मनोरमा पत्नि गोपालदास जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी	113/1 112/1	2.222 0.514	0.047 0.030
56	श्रीमति सारिका पत्नि भरत कुमार जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी	113/2/2	2.733	0.163
57	कुशुम वाई पत्नि जगदीश जाति महेश्वरी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी	128/1	3.238	0.282
57	गोमती वाई वेवा सरवाराम जाति गौड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	345/2	1.295	0.029



58	सुरेन्द्र सिंह आ. वीरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	14/3/1	1.214	0.140
59	जुयश्रीवाई वेवा चूरामन सिंह, विक्रम सिंह, भवानी शंकर, अंबिका, किरण, मधुबाई, प्रेरणा वाई पुत्री चूरामनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	14/2	1.416	0.148
60	विष्णु सिंह आ. छतरसिंह, पर्वत सिंह, दिलीप सिंह, अतरसिंह, हरनामसिंह आ. हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	41/2	3.504	0.020
61	ऋषिराज सिंह आ. जशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	49/3	2.967	0.202
62	राम देवी वेवा त्रिभुवन सिंह, राजश्री, चन्द्रप्रभा पुत्री त्रिभुवन सिंह आ. हरशंकरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	91	15.046	0.125
63	राम देवी वेवा त्रिभुवन सिंह, राजश्री, चन्द्रप्रभा पुत्री त्रिभुवन सिंह आ. हरशंकरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	91	15.046	0.143
64	तुलाराम आ. प्रेमनारायण संगीता, स्वेता पुत्री वालाराम, शांति वाई भुरिया वाई पुत्री प्रेमनारायण जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	69/1	8.413	0.244
65	संतोष उर्फ प्रदीप आ. श्री बलराम जाति विश्वकर्मा नि. ग्राम भू स्वामी	284/1	1.756	0.048
66	हरनामसिंह आ. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम बम्होरी भुआंरी भू स्वामी	293/1	1.214	0.044
67	राममूर्ति आ. रामगोपाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	26/2	0.809	0.002

68	रघुवीर, अजबसिंह, जसमन सिंह, जीवन सिंह, अशोक, भावसिंह, आ. हल्कू सरजूवाई पुत्री हल्कू राधावाई वेवा सीताराम हरनारायण, राजेश आ. सीताराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	31/1	4.051	0.148
69	अभिषेक आ. देवेन्द्र सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	84/1	0.948	0.005
70	अंतराम आ. पतिराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/4/2	0.227	0.010
71	शिवराज आ. पतिराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/4/1	0.227	0.010
72	हल्की वाई विधवा लक्ष्मण सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/5	0.226	0.008
73	शंकरसिंह, शिवनारायण, कारेलाल, नन्हेलाल आ. अन्धेर सिंह रामवाई सुक्को वाई आ. जीवन सिंह मुन्नी वाई पत्नि जीवन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/9	0.453	0.020
74	मल्लीवाई वि. लच्छू लेखराम नारायण, गुलाब आ. लच्छू पिता देवचंद जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी	9	0.498	0.010
75	बालगोविन्द ना.वा. आ. बली, मंगलसिंह, उमेद आ. सुखराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी	8/1	0.337	0.001
76	सूर्यप्रताप सिंह आ. रघुराजसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम छबारा भू स्वामी	6/1/4	2.286	0.036
77	दिनेश, महेश, योगेश आ. गोवर्धनदास, सावित्री वाई वि. गोवर्धनदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	20/2	0.980	0.115
78	राकेश कुमार आ. लेखराज जाति ब्रा. निवासी केतोघान ग्राम भू स्वामी	19/1	0.980	0.068

79	अर्जुन सिंह आ. वलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	128/1	0.571	0.081
80	भगवत सिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	124/1	2.319	0.048
81	प्रेमसिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	124/2	2.315	0.071
82	हरनारायण आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	124/3	2.315	0.071
83	निरपत सिंह आ. मुल्लू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	145/1	0.568	0.070
84	प्रताप सिंह आ. चेताराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	335/2	1.427	0.053
85	परषोत्तम आ. नर्मदा प्रसाद उर्फ दलीपसिंह जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी	1	3.257	0.117
86	विपिन कुमार आ. दिलीप सिंह नि. भाड़ोन भू स्वामी	2/2	1.113	0.030
87	जयंत कुमार, प्रहलाद, धमेन्द्र आ. प्रेमसिंह जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी	26/1	0.809	0.046
88	भगवानदास आ. मिट्टू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	27/1	3.270	0.065
89	फुल्लो वाई पत्नि नर्वदा प्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	50/1/2	0.405	0.035
90	वंशीलाल, मनसुखलाल, विच्चोवाई, मालती वाई, अगूरी वाई, मुन्नीवाई आ. हल्के नि. ग्राम भू स्वामी	50/3	0.760	0.020
91	गौरवकांत ना.वा. आ. वली नरवदा जाति साहू नि. ग्राम भू स्वामी	56/2/1/1 56/2/1/2	0.360 0.607	0.025 0.009
92	रामकुमार आ. मुरारीलाल जाति रघु. हि. 1/2 भाग भूमि मोतीलाल आ. गुलाव सिंह जाति सिलावट नि. ग्राम भू स्वामी	61/1/1/1/1/2	0.202	0.125
93	जानकी वाई वि. टीकाराम नारायण सिंह, भवानीसिंह, भगवत सिंह आ. टीकाराम जाति मैना नि. ग्राम भू स्वामी	64/1/1	1.903	0.080
94	रणधीर सिंह, महाराज सिंह, माधोसिंह, केशरसिंह, मंगलसिंह, अशोक आ. दौलतराम एवं रूपावाई पुत्री दौलतराम जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	64/1/2	0.905	0.048
95	चन्द्रेश, हरीश, लखन ना.वा. आ. गोटरिया स. मॉ नर्वदी वाई जाति अहिरवार नि. भू स्वामी	179/4/2	1.193	0.041
96	अरविन्द्र सिंह आ. कोमल सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	159/2	4.493	0.113
कुल योग-		96		6.329

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 1-अ-82-2018-19

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुरा	केतोघान	2.040	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर की केतोघान माइनर नं. 2 हेतु

#### अनुसूची-2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

बारना विस्तारीकरण मध्यम सिंचाई परियोजना में ग्राम भुआरा की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गोवर्धन सिंह आ. फूल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	9/1/2	2.213	0.050
2	अमर सिंह आ. फूलसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	9/1/1/1	1.409	0.023
3	मलती देवी पत्नि हरिहर नायक जाति ब्राह्मण पिवासी ग्राम भू स्वामी	9/1/1/2	0.809	0.024
4	भगवान सिंह आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	9/2	0.809	0.030
5	सरजू वाई वेवा खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	10	1.144	0.037

6	राजेन्द्र सिंह आ. सुन्दरलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1	1.408	0.084
7	हरकिशन सिंह आ. धन्लाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/2	1.412	0.077
8	लक्ष्मीनारायण आ. परषोत्तम दास जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	12	3.238	0.271
9	परवती बाई पत्नि दयाराम जाति कलार निवासी ग्राम भू स्वामी	29/2/2	0.809	0.061
10	दयोराम आ. रामचरन जाति कलार निवासी ग्राम भू स्वामी	29/2/1	1.214	0.101
11	हरनारायण आ. कोमल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	29/3/2/1/1	3.035	0.073
12	लता बाई पत्नि मेहरवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	29/3/2/2	1.011	0.032
13	उमा बाई पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	29/3/2/1/2	2.023	0.096
14	मदनमोहन दास आ. बृजमोहनदास जाति महेश्वरी निवासी ग्राम भू स्वामी	29/3/1/1/1/1	15.601	0.032
15	नाथूराम आ. छुट्टू जाति लोधी निवसी रायसेन भू स्वामी	30/1	0.191	0.016
16	शिवराज सिंह आ. छुट्टू जाति लोधी निवसी ग्राम भू स्वामी	30/2	0.558	0.055
17	नाथूराम आ. छुट्टू जाति लोधी निवसी रायसेन भू स्वामी	30/3	0.372	0.040
18	रामगोपाल आ. देवी सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	31	2.274	0.115
19	रामगोपाल आ. देवी सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	32/2/1/2	0.405	0.113
20	भगवान सिंह, रामदयाल आ. गोरेलाल जाति किरार निवसी ग्राम भू स्वामी	32/2/1/1	0.809	0.109
21	भागवती बाई पत्नि दलीप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	32/2/2	0.607	0.028

22	गोबिन्द प्रसाद आ. रामभरोसे जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	51/2	1.109	0.109
23	दलीप सिंह आ. उमेदसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	51/1	1.105	0.016
24	कन्हैयालाल आ. बलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	32/1/2/1	0.809	0.057
25	कन्हैयालाल आ. बलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	50/1	7.470	0.295
26	महेश आ. भोपाल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	157/2/1	0.202	0.012
27	विजय सिंह आ. भोपाल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	157/1	1.000	0.068
28	लुङको वाई वेवा पूरन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	196	0.696	0.016
कुल योग-		28		2.040

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 3-अ-82-2018-19

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	बरेली	छबारा बरहा कलां सिवनी ऊटिया कलां अलीगंज	4.032	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातौर उप नहर एवं अलीगंज माइनर हेतु

#### अनुसूची-2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

बारना विस्तारीकरण मध्यम सिंचाई परियोजना में ग्राम भूआरा की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	नित्यगोपाल, सुरेश कुमार, केशव प्रसा, कमलेश कुमार, गायत्री वाई, गीता वाई आ. परमानंद लक्ष्मी वाई वेवा भगवत, महेश कुमार दिनेश कुमार आशा वाई आ. भगवत प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भू स्वामी	110/2	1.339	0.166
2	भारत सिंह आ. नंदराम जाति रघुवंशी निवासी भोपाल भू स्वामी	145	0.372	0.081
3	राजेश कुमार आ. गोपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी बरेली भू स्वामी	118/4/1	2.161	0.235
4	राजेश कुमार आ. गोपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी बरेली भू स्वामी	118/5/1	2.040	0.541

5	केशर वाई वि. अर्जुन सिंह, जगदशी, हरिसिंह, रामसेवक रामेती वाई, रामवाई, सकुन वाई, सुनीता वाई आ. पन्नालाल जाति किरार निवासी ग्राम छवारा	458/1	1.829	0.171
6	फूलसिंह आ. मोहन सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	453/3	1.704	0.136
7	रशिकनागर, रशिकलाल आ. रशिक बिहारी निरजना वि. रशिकदयाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पिपरिया भू स्वामी	447/2/1	2.424	0.004
8	मानकसिंह आ. बालाराम, सकुन वाई वि. बालाराम, राधावाई शीलावाई आ. बालाराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	232/3	0.666	0.016
9	हरिसिंह आ. पन्नालाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	357	1.708	0.076
10	मंगल सिंह आ. मोहन सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	356	1.708	0.070
11	शिवराज सिंह आ. हल्कूसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	328/2	0.609	0.013
12	ब्रजेन्द्र सिंह आ. राधाशरण जाति रघुवंशी निवासी हाल भोपाल भू स्वामी	103/2	5.666	0.150
13	अशोक कुमार आ. भगवानदास जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी	82/5	1.509	0.036
14	श्री सरस्वती मंदिर संगीत आक्षम छवारा अध्यक्ष रशिक विहारीलाल आ. नाथूराम, राधाशरण आ. नाथूराम भू स्वामी कुंज विहारी आ. भवानी सिंह, रसिक श्याम आ. हरिचरण, रसिक दयाल चेता रसिक अलि निवासी ग्राम भू स्वामी जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन	84	9.510	0.128
15	कृष्ण वाई पत्नि छोटेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	118/1/2	2.428	0.151
16	पदम सिंह आ. छोटवीर जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	118/2	1.214	0.106
17	राजेश कुमार आ. गोपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी बरेली भू स्वामी	118/5/1	2.040	0.016
18	गिरजेश कुमार आ. रामसेवक जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	37/3	2.987	0.024
19	कमला प्रसाद आ. नर्मदा प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	102	2.100	0.021
20	अरविंद कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संतोष कुमार आ. राघव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	73/1	4.617	0.020
21	सुखिया वाई वि. बैनी सिंह, अशीष कुमार, अरविंद कुमार आ. बैनी सिंह जाति किरार नि. बरहा कलां भू स्वामी	77/2	1.105	0.035
22	गनेशराम आ. इन्दर सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	75/1	1.619	0.168



23	पोहपसिंह, रामेशवर, बलवंत, नारायण सिंह, लालवीर, मुन्नीवाई, सुमन्त्रावाई पुत्र/पुत्री गण मिश्रीलाल जाति किरार नि. बरहा कलां भू स्वामी	42	3.950	0.117
24	अजुददीलाल आ. बिहारी लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	69/1	0.708	0.030
25	अजुददीलाल आ. बिहारी लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	187	1.651	0.022
26	खूबचंद, राधेश्याम आ. किशनलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	70	1.170	0.055
27	राधावाई पत्नि राघव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	71/2	1.133	0.059
28	अरविंद कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संतोष कुमार आ. राघव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	73/1	4.617	0.110
29	चंदन सिंह आ. भगवान सिंह जाति किरार नि. भू स्वामी	80/3	0.800	0.036
30	प्रेमनारायण आ. बारवीर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	182	1.193	0.080
31	भूरी वाई पत्नि धन्नुलाल, सुमन वाई पत्नि दौलत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	525/1/1	2.230	0.105
32	नंदन सिंह आ. धन्नु जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	527/1	0.849	0.089
33	दौलत सिंह आ. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	528/2	1.295	0.069
34	रामगोपाल आ. भवानी जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	610/2	1.619	0.003
35	दलपत सिंह आ. धनसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	590/4	1.368	0.002
36	रघुवंर प्रसाद आ. राधेलाल जाति बनिया निवासी ग्राम भू स्वामी	114/3	2.194	0.098
37	आन्नद आ. जगदीश प्रसाद निवासी डूब खेड़ा भू स्वामी	104/1	3.488	0.060
38	आन्नद आ. जगदीश प्रसाद निवासी डूब खेड़ा भू स्वामी	104/2	3.485	0.102
39	शालूसिंह पत्नि मनोहर लाल पुत्री प्रहलाद सिंह जाति मेहरा नि. ग्राम भू स्वामी	224/1	1.619	0.078
40	हेमवती पत्नि कोमल सिंह	232/1	2.023	0.105
41	नरेश आ. हरिशंकर एवं गोपाल सिंह आ. हरिशंकर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	233/2/1	1.012	0.048
42	लक्ष्मीनारायण आ. गनपतसिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	236/2	1.862	0.090
43	भगगोवाई पत्नि गनपत सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	236/1	1.618	0.080
44	मोहन सिंह आ. प्रताप सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	236/3	1.230	0.200
45	लक्ष्मण सिंह आ. फूलसिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	240/1/2	0.405	0.030
कुल योग-		45		4.032

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संयवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्रमांक 7अ-82-17-18-53.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	शाहपुर	चापडामाल	0.670	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार अजय कुमार वल्द शंकरलाल बेडरे	84/1	5.853	0193
2	रजनी बाई उर्फ करुण जोजे प्रवीण नरेन्द्र वल्द शंकर लाल बेडरे	84 / 2	4.365	0.068
3	नगेन्द्र कुमार आनंद कुमार नंदकिशोर कृष्ण कुमार वल्द गया प्रसाद मंशा बेवा बजेन्द्र कुमार कपिल वल्द बजेन्द्र कुमार सुमन सुनीति पिता गयाप्रसाद मेहतो	83	0.829	0.199
4	प्रेमलताबाई जोजे जे संतोष	75	1.407	0.005
5	अर्जन बेवा कन्हैया गर्व वल्द कन्हैया नाबा.महिमा पिता कन्हैया नाबा.वली माँ अर्चना बेवा कन्हैया	74/1	0.388	0.149
6	प्रेमलताबाई जोजे जे संतोष	73	1.449	0.056
योग			14.261	0.670

- 1- चूंकि रेल्वे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

बैतूल, दिनांक 16/17 जनवरी 2019

क्रमांक 06अ-82-17-18-पौसेरा-504.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	शाहपुर	पौसेरा	0.150	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2  
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	संजय व० उमाशंकर, यशोदा, बेवा उमाशंकर, प्रतिमा, निर्जला पिता उमाशंकर ब्रह्मण सा० देह	23/3	0.615	0.033
2	सुनिता बेवा रामअदतार, नरेन्द्र, पारस व० रामावतार जाति कुडमी सा० देह	3/1	1.876	0.051
3	नरेन्द्र व० सुखराम जाति कुडमी निवासी सिलपटी	2/2	0.638	0.032
4	नारायण, फुलचंद व० मंगल, गुडडन, क्रेस, कान्ति पुत्री मंगल जाति कुडमी नि० भयावाड़ी	34/1	0.065	0.034
			3.194	0.150

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 08-अ-82-17-18-जामपानी-506.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग (हे० में)	रकबा क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बैतूल	शाहपुर	जामपानी	0.167		उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2  
(प्रमावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	रनको बाई बेवा दौलत, संतोष व० दौलत कांति, इन्दौर, पिता दौलत, कशिश, करीना ना०बा० पिता रून वली चाचा संतोष जाति कुडुमी निवासी सिलपटी	92/1	0.809	0.038
2	मंसा बेवा ब्रजेन्द्र कुमार कपिल कुमार व० ब्रजेन्द्र मोहन जाति कुर्मी निवासी शाहपुर	91/1	6.589	0.087
3	मोहनलाल वल्द छोटेला ल जाति कुर्मी निवासी सोहागपुरढाना	89	0.178	0.042
योग			7.576	0.167

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संयवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 2अ-82-17-18-बांसपुर-508.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बांसपुर	0.160	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

#### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	शंकर वल्द अलोप, ओझा वल्द मदन तुलसी, रामदीन व० दलप, कोयली पिता दलप गोंड सा देह	132	1.428	0.006
2	महादेव वल्द मिटठू डीमर सा० शोभापुर	78/4	2.428	0.009
3	राजेश कुमार वल्द राधेश्याम बनिया सा० देह	83/1	1.914	0.090
4	जगराम, जारू, मंजू वल्द बुद्ध सुगन्ती बेवा बिहारी, रावन, सरवन व० बिहारी गोंड सा० देह	83/2	0.405	0.035
5	शांतीबाई जौजे रामजी जाति गोंड सा० देह	84	1.052	0.020
			7.227	0.160

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

## क्रमांक 1अ-82-17-18-घोड़ाडोंगरी-509.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बेतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	0.526	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

## अनुसूची-2

## (प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मानसिंह वल्द चिन्दू जाति गोंड सा० देह	1234	0.405	0.032
2	बंडू, शिव, झामसिंग, संतोष व० भूता राजोबाई, सकीला, कमला पिता भूता जाति गोंड सा० देह	1197 1224	0.563 0.174	0.142 0.085
3	स्पर्श वल्द कृष्णगोपाल, शिवाणी पिता कृष्णगोपाल, जाति बनिया सा० देह	1196	0.514	0.107
4	उमदा बेवा ननकू, शंकर, समलू व० तुरी जाति गोंड सा० देह	1188	2.566	0.113
5	रुन्दीबाई बेवा गजराज सिंग जाति गोंड सा० देह	1238	0.279	0.015
6	संतरी, फुल्लो मन्नीबाई पिता बिहारी, सुनिल, सुशीला, झब्बा, रिना, कंचन, मोनिका पिता रामसू गोंड सा० देह	1236	0.360	0.001
7	मधुकर, संतोष, पंचम, रामगोपाल व० बलीराम गोंड सा० देह	1233/1	0.200	0.015
8	रमेश, विलेश, विनोद, व० मोतीलाल, शांति पिता मोतीलाल, पतिबाई बेवा गोविन्द, राजकुमार, कमलकिशोर, कपील व० गोविंद, सावित्रीश नमिशा पिता गोविंद गोंड सा० देह	1233/2	0.201	0.016
योग			5.262	0.526

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बेतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

## क्रमांक 53अ-82-17-18-कुण्डी-512.-

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	शाहपुर	कुण्डी	0.758	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2  
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	फूलसिंग व० धन्नु सिंग गोंड सा० देह	602	1.181	0.010
2	इलाशवती बेवा बलीराम विजन व० बलीराम, श्रीराम व. बिहारी, संतलाल व. बिहारी सा० देह	603	2.157	0.050
3	भूता, चमन, बालकसिंग व० छन्नूलाल जाति गोंड सा० जामुनढाना	516	0.129	0.028
4	स्वदेश व० प्रेमलाल गोंड सा० देह	517	2.659	0.113
5	मस्तान सिंह व० मोतीलाल जाति गोंड सा देह	287/1	0.611	0.027
6	महेशकुमार, संजय कुमार व० भगवंतराव, आशाबाई, सुधाबाई, पुत्री भगवंतराव, कौशल्याबाई बेवा भगवंतराव कुन्बी सा० देह	282	2.217	0.202
7	कैलाश, मनोज व० बाबूराव संजयकुमार व० भगवंतराव सा० देह	280	0.530	0.059
8	जमनाबाई बेवा सुकलू, तुलसीबाई, सुकलू, सुकन	279	0.166	0.053
9	भूरा, कन्नु, मन्नु, खुड्डा व० भूता सा० देह	149/1	0.738	0.144
10	सोहमतसिंग, ईश्वरसिंग व० अम्मू देवलीलाल व० पतल सा० देह	156	0.223	0.072
योग			10.611	0.758

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्रमांक 9अ-82-17-18-भयावाड़ी-515.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	शाहपुर	भयावाड़ी	0.984	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नन्हे वल्द मनीराम जाति कुडमी सा० देह	543/1	0.414	0.104
2	गज्जू, रध्धू, लखन वल्द सालक जाति गोंड सा० देह	542	0.235	0.024
3	दशरथ वल्द रामबालक जाति कुडमी सा देह	541/1	1.733	0.083
4	सुनील व० प्रेमलाल कुडमी सा० देह	537/2	1.710	0.001
5	कोमल वल्द शिवबालक, कृष्णा पुत्र शिवबालक जाति कुडमी	536	0.991	0.147
6	राजाराम व० रामभरोस जाति कुडमी सा० देह	535	0.223	0.004
7	अनिल व० रंगलाल जाति तेली सा० देह	525	0.223	0.011
8	सम्पत्तिबाई जौजे हरिचंद जाति कुडमी जाति कुर्मी सा० देह	486/1	0.570	0.168
9	सब्बो जौजे गोपाल जाति कुडमी सा० देह	486/2	0.571	0.118
10	शिवप्रसाद वल्द राधे जाति कुडमी सा० देह	491/2	1.198	0.049
11	तिजिया बेवा बबलू, रामस्वरूप कुंवरलाल, गोकूल, धन्ना, व० बबलू, राजो पिता बबलू जाति कुडमी सा देह	491/1	2.113	0.043
12	सुखराम व० जुगरा कुडमी सा० देह	47/4	0.125	0.034
13	भागीरथ व० इमरत जाति कुडमी सा० देह	44/1	1.116	0.048
14	सुनिल वल्द प्रेमलाल, जाति कुडमी सा० देह	44/2	1.117	0.087
15	हरिदास वल्द धनजी जाति कुडमी	43	0.032	0.032

16	मनको बेवा सोनूलाल, श्रीराम लीलादास, गणेश, व0सोनू, पुष्पा बे0 देवीप्रसाद, विनोद प्रमोदव0 देवीप्रसाद, विनीता पिता देवीप्रसाद, जाति तेली सा0 देह	28	2.072	0.004
17	ललीता जौजे सुनिल जाति कुडमी सा0 देह	26	0.239	0.027
	योग		14.672	0.984

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 12अ-82-17-18-घोड़ावाड़ी-517.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ावाड़ी	0.107	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भैयालाल वल्द सीताराम गौली सा० देह	74	1.481	0.039
2	दिनेश वल्द नत्थू गौली सा० देह	75	0.251	0.027
3	नत्थू वल्द मन्साराम सा० अनकवाड़ी	76/1	2.605	0.041
<b>योग</b>				<b>0.107</b>

1- चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 13अ-82-17-18-नान्दू-519.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभगक्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नान्दू	0.579	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भंगी वल्द झुम्मक जाति गोंड सा० घोड़ाडोंगरी	82	1.526	0.083
2	भंगीलाल, गज्जू वल्द झुम्मक गोंड सा० अनकवाड़ी	83	1.497	0.039
3	सालक वल्द माडू गोंड सा० घोड़ाडोंगरी	85	0.837	0.054
4	सेवाराम वल्द महादेव जाति मेहरा सा० देह	86	1.546	0.004
5	सालक वल्द माडू जाति गोंड सा घोड़ाडोंगरी	87	0.267	0.023
6	सालक वल्द माडू जाति गोंड सा घोड़ाडोंगरी सा० घोड़ाडोंगरी	90/1	1.214	0.066
7	मुन्नालाल वल्द वक्कू जाति कोरकू जग्गू वल्द वक्कू, कोरकू	98/1, 98/2	0.193, 0.194	0.024
8	माडू वल्द भददू, वक्कू सुदिया बेवा रामचरण, व० मंगल जाति कोरकू सा० देह	123/1	0.099	0.009
9	उमेश, दिलीप वल्द मंगू जाति कोरकू सा० देह	124/2	0.062	0.013
10	मुलिया पिता भददू, रमेश सुरेश पिल्लू, गणेश, दिनेश वल्द तुलसीराम, शकून, सीमा पिता तुलसीराम जाति कोरकू सा० देह	124/1	0.063	0.012
11	नरेन्द्र व० सीताराम जाति मेहरा सा० देह	125/2	0.046	0.042
12	फतमा बेगम वल्द शेख ईमाम जाति मुसलमान सा० देह	141	1.344	0.035
13	इकबाल शकील फिरोज, जुमदरशाहिद व० अब्दुल, हसीब जाति मुलसमान, चिन्धु व भादया जाति मेहरा सा०	155/2,	0.789	0.130
	चिन्धु व० भादया जाति मेहरा सा० देह	155/3	2.023	
14	चितिया जौ फुदुलाल जाति कोरकू सा० देह	146	0.148	0.011

15	रामलाल, रामदयाल व मंगलू कारी बेवा मंगलू जाति कोरकू सा0देह	147	0.263	0.016
16	रामलाल वल्द मंगल, भीला बेवा सुकू जाति कोरकू सा0 खोकरा	148	0.344	0.018
17	इकबाल व0 अब्दुल हसील सा0 देह	142	आबादी	एककच्चा मकान
योग			12.455	0.579

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 10अ-82-17-18-खकरा कोयलारी-521.-

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम(5)में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बेतूल	घोड़ाडोंगरी	खकरा कोयलारी	0.153	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

#### अनुसूची-2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नथू फत्तेसिंह मुन्ना व० झबली, मिठिया पुत्री झबली, रामसू, जामसिंग, व० फगन, जाति गोंड सा० देह	12	1.197	0.076
2	मंगू वल्द सूखराम जाति गोंड सा० देह	13	0.999	0.077
			2.196	0.153

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बेतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 11अ-82-17-18-522.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्र (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	घोडाडोंगरी	सड़कवाड़ा	0.330	उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	भगीया बेवा उदेसिंग, सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग व० उदेसिंग जाति गोंड सा० देह	210	1.534	0.001
2	बिजंती बाई पिता फागू जाति गोंड सा० देह	217	0.283	0.001
3	नबिया बेवा फगनू कलेसिया, कलावति, सुमन, सुमरंती, फूलवती, सुलन्ती पिता फगनू मंगलसिंग व० मन्नू झम्मी बेवा मोडडा, भैयालाल, गजमल, विसिंग, विसनू व० मोडडा झुनकी, फूलवती, श्यामवती, पिता मोडडा, रमो, डोंगरी, रामबाई पिता श्यामू, कमला बे डेबू, रामदास, व० डेबू ?, छतन व. लक्ष्मण, मन्दी, झबली बेवा सम्मल, इमरत व० सम्मल, रामजी किसन व० जोगी, लक्ष्मी, रामबाई पिता जोगी गोंड सा० देह०	218	0.089	0.026
4	मिश्रीलाल व बिहारीलाल सा० देह	233	0.097	0.031
5	भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग व० उदेसिंग जाति गोंड सा० देह	234	0.065	0.023
6	गुंडा व झीटू जाति गोंड पता निवासी	236	0.121	0.022
7	कालू व दुकारी, किशोरी व मकडन, नजरू, भिवकी, व० दसन, कज्जो, मुल्लों पिता दसन, बसंत, सोमजी व० देलू, झुनका, बिलन्ती, प्रेमवती पिता देलू, माटू, कारू व० चिक्कू जाति गोंड सा०	256	0.772	0.039

8	कन्छेदीलाल व रामकिसन जाति तेली सा0 घोड़ाडोंगरी	257	0.142	0.023
9	छुट्टन व सुखनंदन जाति गोंड सा0 देह	283	0.239	0.019
10	गजानंद व मुन्नी जाति गोंड सा0 देह	291 / 1	0.700	0.012
11	संतलाल व0 गजानंद जाति गोंड सा0 देह	291 / 2	0.636	0.011
12	रामदास व रामसिंग रामरती, भागरती, सुगरती पिता रामसिंग जाति गोंड सा0 देह	292	0.117	0.042
13	शकुनबाई सरबती बेवा झामसिंग गोड सा0 देह	293 / 1,	0.328	0.017
14	जगन व कान्हूलाल जाति गोंड सा0 देह	293 / 2	0.348	0.007
15	प्रेमतीबाई जौ. भग्गुलाल जाति गोंड	294	0.308	0.015
16	छोटू व0 मनीराम जाति गोंड सा0 महेन्द्रवाड़ी	335 / 2	0.432	0.005
17	ब्रजलाल व0 गजानंद जाति गोंड सा0 देह	337 / 4	1.266	0.036
योग			7.477	0.330

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्रमांक 04अ-82-17-18-चिखल्दाखुर्द-525.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	शाहपुर	चिखल्दा खुर्द	0.406	उपमुख्य अभियन्ता मध्य रेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

#### अनुसूची-2

#### (प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०में
1	2	3	4	5
1	सेवकराम व० नानकराम, आशा, रूखमणी, पिता नानकराम, सुन्दरबाई बेवा आँमकार, कमला, त्रिवेणी पुत्री आँमकार आशा बेवा कान्ती, गोलू, सूरज, मोहनी, नाबा व० कान्तिवली मां आशा बेवा कान्तिलाल कीर जाति कीर सा० देह	132/2	0.211	0.015
2	प्रहलाद व० बालमुकुन्द, रज्जो, मरी, जयवंती पिता बालमुकुन्द, अजुददी बेवा मुकुन्दी, महेश, दिनेश, सुशीला, दुजिया व० मुकुन्दी सा० देह	121/1 121/2	0.538 0.538	0.086
3	लुथियाबाई बेवा भैयालाल, राममरोस, रामाधार, अशोक, राजेश, व० भैयालाल, गुलता, इन्द्रवति, उर्मिला, पिता भैयालाल, सुनिता बेवा राकेश, रिन्कू व० राकेश, सोहित ना बा व० राकेश, प्रीति, प्रियंका, ना बा पिता राकेश वली मां सुनिता बेवा राकेश सा० देह	120	0.077	0.004
4	बाबूलाल वल्द ठप्पू गौंड सा० देह	118	0.235	0.007
5	सुर्यकांत वल्द मिश्रीलाल जाति सोनी सा० देह	116	3.015	0.113
6	कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह	96	1.113	0.108
7	कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह	94	0.162	0.051
8	भागवती बेवा बाबूलाल, लक्ष्मीनारायण, देवनारायण, जीवनलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता व० बाबूलाल जाति कीर सा० देह	92	0.113	0.022
योग				0.406

- 1- चूंकि तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 3अ-82-17-18-रातामाटी-527.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	घोड़ाडोंगरी	रातामाटी	0.837	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

#### अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	दशरथ पिता भैयालाल मु.बिस्सों बेवा भैयालाल,इमरता वल्द भारतु सम्मल वल्द महाजन मौती वल्द फुस्सा धीरन वल्द सुंदर सददू वल्द जिर्रा जाति गौंड साकिन देह	297	0.866	0.022
2	जानकी बेवा चिक्कू फकीरचंद्र वल्द चिक्कू जाति गौंड साकिन देह	304	0.579	0.178
3	लिक्खू वल्द मदन जाति गौंड	305/3	1.620	0.094
4	सुन्दर वल्द दसरू झिकों,मुन्नी पिता दसरू कमला बेवा इन्द्रर मंजीत,अमरजीत,राजकुमार वल्द इन्द्रर शिवकली,फुलवंती पिता इन्द्रर भूमिस्वामी	316	0.287	0.068
5	मन्तो बेवा चिमन ,जगदीश,रामसा वल्द चिमन कुसुम पिता चिमन जाति गौंड साकिन देह	321	0.599	0.048
6	मोडडा वल्द बातू जनी पुत्री बातू भूरे वल्द सम्भू शिवराम वल्द गोरे सुबदा बेवा बब्बू भूता,मनोज नाबा.वल्द बब्बू भूमिस्वामी	323	0.825	0.054
7	मन्तो बाई पति कान्हूलाल,जगिया बाई बेवा पोलजी, गोड सा० देह	75	0.534	0.006
8	मोती ,सुखराम वल्द मंगलू गेंदीबाई बेवा मांजू मुन्ना सुरेश वल्द मांजू भिन्ता पुत्री मांजू बज्जू,झिल्लों, दुर्गे,बाबूलाल वल्द देलन नबिया बेवा बिरसा कालूराम मनीराम शनिराम वल्द बिरसा ओझा,मदरसा वल्द हन्नू डोमे पुत्री हन्नू जाति गौंड साकिन देह	31/1	0.441	0.065

9	नबीया पुत्री पूरन रैनोबाई पिता पूरन जाति गोंड साकिन देह	31/2	0.110	0.008
10	पिरमू, धरमसिंग वल्द छोटे, सुमत्रा बेवा धरमू सूक्कन वल्द धरमू सुखदेव अंकेश नाबा.वल्द धरमू सुकिता,सन्नो रविता,कविता,नाबा. वल्द धरमू वली माँ सुमत्रा, चिडमू वल्द श्यामलाल, इमरता कमोदी बेवा श्यामलाल जाति गोंड साकिन देहभूमिस्वामी	30/2	1.154	0.008
11	देवकी जोजे बारेलाल जाति गोंड साकिन देह	30/1	0.384	0.018
12	सम्मूलाल वल्द मानसिंग जाति गोंड साकिन देह	29/1	0.237	
	कुमानसिंग पिता मानसिंग जाति गोंड साकिन देह	29/2	0.237	0.022
13	गुडडन,लखन,पिता सालकराम जाति गोंड साकिन देह भूमिस्वामी	28	0.417	0.029
14	इमरती बेवा भिक्कू सुमत्रा बेवा गंजू चुन्नीलाल वल्द गंजू दसम बेवा जगराम सुब्बा मनीराम वल्द सकडू धम्मा पुत्री फुंदन परबितया बेवा नंदराम बालकसिंग, तकेसिंग वल्द नंदराम मनीराम ओझा मनजी संजू वल्द छोटे भूरिया मुलिया पुत्री भंगी हन्नू वल्द फुंदन साकिन देह भूमिस्वामी	14	0.704	0.035
15	मुन्नीबाई जोजे भिखारीलाल गोंड साकिन देह	13/3	0.303	0.035
16	हिरदू, धीरन वल्द किसनू जाति गोंड साकिन देह	13/1	0.303	0.011
17	झाडू वल्द पन्नी जाति परधान साकिन देह भूमिस्वामी	12	0.166	0.009
18	झूना बेवा शेरसिंग लखन वल्द शेरसिंग झूलमा अनोपा, पिता शेरसिंग भग्गो बेवा शेरसिंग बलराम, चैतराम वल्द शेरसिंग गजानंद वल्द शेरसिंग संतरी पिता शेरसिंग रमेश, श्रीराम वल्द शेरसिंग सन्नो पिता शेरसिंग गजराज पिता शेरसिंग सरोज,चंद्रकला पिता शेरसिंग जबरसिंग वल्द जुंगी जाति ठाठिया साकिन देह भूमिस्वामी	3/1	1.230	0.009
19	संतोष, अनंतराम, हरिशंकर वल्द दसन संतरी, कांता पुत्री दसन जाति गोंड साकिन देह	1	0.587	0.017
योग				0.837

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. 59-भू-अर्जन-2018.—

प्रकरण क्रमांक 27/भू-अर्जन/2017-18 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम—सुल्तानपुर

तहसील— बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुल्तानपुर	रामसेवक, हरिसिंह आ. कडोरीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	26/2/2/ 1/1/1	2.337	0.162	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल	लो.नि.विभाग द्वारा ग्राम बरेली से गगनवाड़ा मार्ग में घोघरा नदी पर पुल निर्माण हेतु
2	सुल्तानपुर	खेमचन्द आ. हल्के जाति किरार निवासी बरेली भू स्वामी	31/1/1/2 39/1 40/1	0.494 0.243 0.231	0.073 0.065 0.024		
3	सुल्तानपुर	महेश कुमार आ. चेताराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	30/2	0.336	0.024		

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय /भूअर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्रमांक/.....286...../भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ...../अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम धुरला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.मै.
1	2	3
1	धुरला (निजी भूमि)	1.758

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
<b>ग्राम धुरला</b>				
1	गंगाराम पिता खीमा जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	2/4	2.290	0.104
2	रमेशचंद्र पिता राम चन्द्रर जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	28/1/1	0.569	0.057
3	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्रा.भू.स्वामी	29	1.505	0.073
4	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	40	2.416	0.152
5	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि. ग्रा.भू.	231/4/2	1.163	0.372
6	गौरव पिता अरविंद कुमार जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	328/2	1.973	0.305

1	2	3	4	5
7	ओमप्रकाश पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	340/1/2	1.898	0.050
8	विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/3	0.422	0.106
9	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.स्वामी.	325/4	0.169	0.077
10	प्रभुलाल आ किशन लाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.	317/1	0.987	0.117
11	बृजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण	231/5/1	0.342	0.120
		243/1	0.126	0.050
		321/1	0.013	0.013
12	केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसे नारान पिता छगनलाल हि. 20 पै. जाति बलाई अरुण पिता हरिप्रसाद हि. 2 पै. जाति ब्राह्मण नि. ग्रा.भू.	317/3/1	0.051	0.051
13	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी	317/3/2	0.017	0.017
		317/3/3	0.017	0.017
		317/3/4	0.016	0.008
14	रमेशचंद्र कैलाशनारायण पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	28/3	0.361	0.069
योग:-ग्राम धुरला			14.335	1.758

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 288-भू-अर्जन-2018.—

क्रमांक/ / /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची(1)

ग्राम गीलाखेडी		तहसील नरसिंहगढ़	
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०	
		रकबा	कुल रकबा
1	2	3	5
निजी	भूमि	4.998 हे०	4.998 हे०

#### अनुसूची(2)

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				रकबा	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
1	स्वर्ण सिंह पिता घनश्याम सिंह जाती घोसी	200	0.620	0.050	0.050
2	नाखीखा पिता करामात खा जाती फकीर	199	0.304	0.110	0.110
3	पृथ्वी सिंह पिता नानूराम जाती घोसी	198/1	0.246	0.036	0.036



4	रामचरण पिता धूलजी जाती घोसी	198/2	0.247	0.030	0.030
5	भगवत सिंह,श्रवणसिंह ,कृष्णाबाई पिता घनश्याम मु0 रुकमाबाई बैदा घनश्याम जाति घोषी	197	0.519	0.015	0.015
6	मुकेश कुमार पिता पन्नालाल जाती घोसी	211/2	1.069	0.053	0.053
		212	0.038	0.019	0.019
7	जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाती कलाल	423	0.670	0.463	0.463
8	विष्णुदयाल घनश्याम पिता कन्हैयालाल अभिषेक नेहा पिता रामेश्वर सावित्रीबाई बेवा रामेश्वर जाती कलाल	409/1	1.476	0.292	0.292
9	गंगाराम पिता रामप्रसाद जाती कलाल	426/1	0.569	0.222	0.222
10	श्यामबाबू पिता दयाराम जाती कलाल	426/2/3/1	0.504	0.187	0.187
11	रसिदखा पिता करमातखा जाती फकीर	735/1/1	0.658	0.084	0.084
		736/2/3	0.544	0.408	0.408
12	शैतानबाई बेवा देवा जाती कलाल	737/1	4.251	0.723	0.723
13	गोपाल सिंह पिता खानचंद जाती घोसी	738/1	1.897	0.754	0.754

14	बाबूलाल पिता हरलाल जाती चमार	778/8	1.265	0.079	0.079
15	रघुबीर सिंह पिता चन्द्र सिंह जाती घोसी	778/14/1	0.442	0.350	0.350
16	शांतिबाई बेवा बाबूलाल राकेश बिक्रम सिंह अनोखीलाल पिता बापूलाल जाती चमार	778/14/4	0.443	0.250	0.250
17	साइकुंवर बेवा मानसिंह, कमलसिंह, रामनाथ सिंह, प्रेमसिंह, गोपालसिंह, गम्बरसिंह , मिथुन, देवबाई पिता मानसिंह जाति राजपूत	735/12	0.506	0.200	0.200
18	मगया पिता खुशाल जाती बसोड	735/13	0.253	0.183	0.183
19	भवरलाल रामदयाल बृजेश कुमार पिता लालजी जाती बसोड	735/14	0.253	0.150	0.150
20	राजमल पिता भवानीराम जाती दरजी	735/16	0.506	0.110	0.110
21	महेश कुमार पिता बाबूलाल जाती सोनी	735/19	0.506	0.157	0.157
22	जगन्नाथ पिता गोकुल जाती भंगी	735/7	0.506	0.073	0.073
	योग कुल किता	22	18.292	4.998	4.998

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 289-भू-अर्जन-18.—

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्थावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम सराना		तहसील नरसिंहगढ़	
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०	
		रकबा	कुल रकबा
1	2	3	4
निजी	भूमि	11.144 हे०	11.144 हे०

अनुसूची (2)

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				रकबा	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
1	हीरालाल पिता भागीरथ दांगी	321/1	3.794	0.205	0.205
2	दरखवबाई पति गोरेलाल चमार	350/1/1	0.506	0.180	0.180
3	श्याम सुंदरसिंह नारायणसिंह	351/1/3	0.611	0.214	0.214
4	रमेश चंद्र पिता मांगीलाल जाती तेली	349/1/1	0.348	0.126	0.126

क्र. 289-भू-अर्जन-18.—

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

ग्राम सराना		तहसील नरसिंहगढ़	
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०	
		रकबा	कुल रकबा
1	2	3	4
निजी	भूमि	11.144 हे०	11.144 हे०

### अनुसूची (2)

स०क०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				रकबा	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
1	हीरालाल पिता भागीरथ दांगी	321/1	3.794	0.205	0.205
2	दरखववाई पति गोरेलाल चमार	350/1/1	0.506	0.180	0.180
3	श्याम सुंदरसिंह नारायणसिंह	351/1/3	0.611	0.214	0.214
4	रमेश चंद्र पिता मांगीलाल जाती तेली	349/1/1	0.348	0.126	0.126

5	जगदीश पिता मांगीलाल तेली	349/1/2	0.348	0.126	0.126
6	भारत पिता मांगीलाल तेली	349/1/3	0.349	0.126	0.126
7	सुरेश पिता मांगीलाल तेली	349/1/4	0.349	0.126	0.126
8	मांगीलाल पिता नाथूलाल जाती तेली	349/1/5	0.349	0.126	0.126
9	देवीलाल पिता जगन्नाथ गुजर	349/2/1	0.488	0.155	0.155
10	कस्तूरी बाई पति देवीलाल	349/2/2	0.759	0.190	0.190
11	देवीलाल पिता जगन्नाथ गुजर	349/2/3	0.497	0.260	0.260
12	सुरज सिंह पिता दयालसिंह गुजर	349/3	0.871	0.200	0.200
13	अमर सिंह पिता जगन्नाथ	346/2	0.485	0.065	0.065
14	अमर सिंह पिता जगन्नाथ	346/3	0.969	0.569	0.569
15	भगवती पिता शिवनारायण	346/4	0.970	0.364	0.364
16	गजराज सिंह पिता देवी सिंह	347	0.025	0.025	0.025
17	जगदीश पिता मांगीलाल जाती तेली	374/2/1	1.153	0.139	0.139
18	बालाबगस पिता गंगाधर	287/2/1	0.108	0.015	0.015
19	अमरचंद पिता प्रभुलाल गाडरी	287/3/1/1	0.038	0.038	0.038
20	भगवानसिंह पिता अमरचंद गाडरी	287/3/1/2	0.072	0.028	0.028
21	भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाडरी	287/3/2	0.110	0.050	0.050
22	रामनारायण पिता श्यामलाल गाडरी	281/1	0.291	0.125	0.125
23	अमरचंद पिता प्रभुलाल गाडरी	281/2/1	0.026	0.016	0.016
24	भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाडरी	281/2/2	0.050	0.030	0.030

25	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर	281/3/1	0.145	0.060	0.060
26	बालाबगस पिता गंगाधर	281/3/2	0.146	0.080	0.080
27	रामनारायण पिता श्यामलाल गाड़री	282/1	0.101	0.001	0.001
28	भगवान सिंह पिता अमरचंद गाड़री	282/2/1	0.055	0.033	0.033
29	भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री	282/2/2	0.084	0.050	0.050
30	बालाबगस पिता गंगाधर	282/3/1	0.032	0.019	0.019
31	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर	282/3/2	0.032	0.019	0.019
32	सरदारबाई पुत्री दौलीबाई	283/1	0.114	0.005	0.005
33	बालाबगस पिता गंगाधर	283/2/1	0.069	0.041	0.041
34	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर	283/2/2	0.070	0.042	0.042
35	अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह	280/1	0.759	0.268	0.268
36	अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह	278/1	1.518	0.140	0.140
37	अमरचंद पिता प्रभुलाल गाड़री	246/1	0.095	0.057	0.057
38	भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री	246/2	0.095	0.057	0.057
39	अमरचंद पिता प्रभुलाल गाड़री	249/1/1/1	0.063	0.038	0.038
40	भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री	249/1/1/2	0.063	0.038	0.038
41	बालाबगस पिता गंगाधर	249/1/2/1	0.113	0.068	0.068
42	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर	249/1/2/2	0.113	0.068	0.068
43	रामनारायण पिता श्यामलाल गाड़री	249/1/3	0.190	0.120	0.120
44	कमलसिंह पिता भंवरलाल	239/1/1	0.468	0.250	0.250
45	कमलसिंह पिता भंवरलाल	239/1/2	0.468	0.120	0.120
46	सरदारबाई पुत्री दौलीबाई	233	0.278	0.020	0.020
47	सरदारबाई पुत्री दौलीबाई	234	3.579	1.134	1.134

48	सरदारबाई पुत्री दौलीबाई	240	0.177	0.003	0.003
49	रामनाथसिंह पिता खेमचंद	231	0.101	0.010	0.010
50	रामनाथसिंह पिता खेमचंद	232	2.238	0.700	0.700
51	बापूलाल पिता लालजीराम	230	0.493	0.144	0.144
52	बापूलाल पिता लालजीराम	229	0.455	0.087	0.087
53	बापूलाल पिता लालजीराम	228/1/1	0.520	0.095	0.095
54	बापूलाल पिता लालजीराम	226/1/1	0.872	0.210	0.210
55	सेवाराम पिता लालजीराम	226/1/2	2.100	0.584	0.584
56	मनोहर पिता लीलाकिशन	226/2	0.215	0.075	0.075
57	मनोहर पिता लीलाकिशन	224/1	0.700	0.134	0.134
58	रघुवीरसिंह पिता लीलाकिशन	224/2	1.040	0.100	0.100
59	सेवाराम पिता लालजीराम	225/1/2	1.250	0.005	0.005
60	मनोहर पिता लीलाकिशन	225/2/1	0.421	0.063	0.063
61	रघुवीरसिंह पिता लीलाकिशन	225/2/2	0.808	0.320	0.320
62	दयालसिंह पिता लीलाकिशन	225/2/3	0.809	0.370	0.370
63	भगवान सिंह पिता लीलाकिशन	225/2/4	0.809	0.370	0.370
64	सुशीलाबाई पति कैलाप्रसाद	223	0.190	0.018	0.018
65	सुशीलाबाई पति कैलाप्रसाद	222/1	1.719	0.340	0.340
66	सेवाराम पिता लालजीराम	222/2	0.759	0.506	0.506
67	पदमसिंह पिता सेवाराम	218	1.947	0.380	0.380
68	नारान सिंह पिता धनीराम	215/3	0.066	0.025	0.025
69	रामनिवास पिता नारायण सिंह देशवाली	216/1	1.015	0.232	0.232

70	जगदीश पिता बापूलाल देशवाली	217/2/1	1.084	0.112	0.112
71	नंदरलाल पिता बापूलाल जाति देशवाली	217/2/2	1.084	0.020	0.020
72	जीतेन्द्र पिता नारायण सिंह	215/1	0.594	0.015	0.015
	योग कुल कित्ता	72	43.682	11.144	11.144

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 22 जनवरी 2019

प्र. क्र. 51अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.2017-18-747-2.—

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- देवपुरमांफी, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकबा 0.142 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- देवपुरमांफी प.ह.नं...55, रा.नि. वृत्-...11 में उक्त परियोजना के लिये 0.142 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	41	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	शम्मी पुत्र कुददु हि 1/2 नाजिर पुत्र यासिन खां हि 1/2 जाति मुसलमान पता नि ग्राम भूमिस्वामी
2	42/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	प्रकाश पुत्र राधेश्याम हि 797 बर्गफुट श्यामा पुत्र दुल्ली हि 1000 बर्गफुट कमलेश बेबा शम्भू सोनू मोनू नाबा. पुत्र शम्भू सर मां स्वयं खुशाबू नाबा. पुत्री शम्भू सर. मां स्वयं समान भाग हि 1000 बर्गफुट जाति नट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	42/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सीमादेवी पत्नि मनोज कुमार जाति बैश्य नि सवलगढ़ रकबा 10010 बर्गफुट केदार केशव पुत्रगण किशनलाल हि रकबा 1200 वर्गफुट सुनील मातादीन पुत्रगण केदार हि रकबा 1200 वर्गफुट वैकुण्ठी पत्नि केदार जाति गौड हि रकबा 675 वर्गफुट श्रीनिवास पुत्र रामचरण जाति प्रजापति रकबा 1187 बर्गफुट गजाधर नेकराम आदिराम भोगीराम रामरिंह पुत्रगण पन्नालाल जाति प्रजापति समान भाग हि रकबा 4337 बर्गफुट काति देवी पत्नि रगनू माया पत्नि मुन्ना नि रून्घान जागीर स.भा हि रकबा 2603 वर्गफुट जाति प्रजापति
4	42/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रमेश चन्द्र पुत्र मिश्रीलाल जाति कुम्हार नि ग्राम भूमि स्वामी
5	42/मिन 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीराम रामदीन हरिओम अशोक पुत्रगण रामकिशुन समान भाग जाति त्याग पता नि ग्राम

6	42/मिन 5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रतिराम केशव अतिराज पुत्रगण मिश्री समान भाग जाति कुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वामी
7	42/मिन 6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामचरण जगन्नाथ लखपति पुत्रगण अंगद हि 3/4 समान भाग दीनदयाल पुत्र बाला भारती पूजा पुत्री बाला हि 1/4 जाति कुम्हार
8	42/मिन 7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		विद्याराम रामगोविन्द पुत्रगण पूरनमल समान भाग जाति गौड पता नि ग्राम भूमिस्वामी
9	42/मिन 8	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		देवीलाल पुत्र रघुआ जाति कुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वामी
10	42/मिन 9	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रोशन लाल पुत्र मिश्री जाति कुम्हार नि ग्राम भूमिस्वामी
11	42/मिन 10	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		परिमाल पुत्र दौजी जीवनलाल पुत्र मोतीराम समान भाग जाति कुम्हार
12	43/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	श्रीपति पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति नि ग्राम
13	43/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामजीलाल पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति नि ग्राम
14	43/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		प्रेम बेबा लालपति द्वारिका ओमप्रकाश हरिओम पुत्रगण लालपति रुमाली पुत्री लालपति स.भा. हि रकबा 2695 वर्गफुट पाना पत्नि तातिया बैकुण्ठी पत्नि रामजीलाल जाति कुम्हार सामन भाग हि रकबा 950 वर्गफुट
15	43/मिन 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मु.पाना बेबा तातिया मटरे रामअवतार जितेन्द्र पुत्रगण तातिया सुनीता पुत्री तातिया स.भा. जाति प्रजापति नि ग्राम
16	43/मिन 5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भैरोलाल पुत्र भूरा जाति प्रजापति नि ग्राम
17	43/मिन 6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		गुडडी पुत्री मठरू जाति नाई पता नि ग्राम
कुल	17			0.142	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विषे** :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 59अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-747-3.—

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- बकसपुर, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 9.803 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- बकसपुर प.ह.नं.50, रा.नि. वृत्त-04 में उक्त परियोजना के लिये 9.803 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1	भूमिस्वामी	कृषि	0.580	काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौर पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल

					शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
2	2	भूमिस्वामी	कृषि	0.099	काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु.

					गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
3	3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.496	लालपति कल्याण रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम मुरवई समान भाग हि0 7/26 नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गुर्जर निवासी मुरवई हि0 19/26 भूमिस्वामी
4	3/2	भूमिस्वामी	कृषि		काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरै पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल

					<p>शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कूतघान सबलगढ</p>
5	5	भूमिस्वामी	कृषि	0.412	<p>काशीराम पुत्र लोदू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु.</p>

					गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
6	6/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.371	काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम

					पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान्न सबलगढ
7	6/2	भूमिस्वामी	कृषि		नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गुर्जर निवासी मुरवई भूमिस्वामी
8	7	भूमिस्वामी	कृषि	0.664	काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम



					पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कृतघान सबलगढ
9	8	भूमिस्वामी	कृषि	0.473	काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020

					ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
10	9	भूमिस्वामी	कृषि	0.200	शान्ती बेवा रामस्वरूप रामसिंह रामभजन रामकुमार पुत्र रामस्वरूप ममता पुत्री रामस्वरूप समान भाग 1/3 अन्जली रामबाई पुत्रीयां किमुनलाल समान भाग 2/3 जाति खटिक नि बकसपुर भू-दान कृषक
11	10	भूमिस्वामी	कृषि	0.220	शान्ती बेवा रामस्वरूप रामसिंह रामभजन रामकुमार पुत्र रामस्वरूप ममता पुत्री रामस्वरूप समान भाग 1/3 अन्जली रामबाई पुत्रीयां किमुनलाल समान भाग 2/3 जाति खटिक नि बकसपुर भू-दान कृषक
12	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.024	काशीराम पुत्र लोदू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रीयां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया

					समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
13	18	भूमिस्वामी	कृषि	0.027	काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल

					शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
14	19	भूमिस्वामी	कृषि	0.460	बाकेलाल सूखा महेश पिता किशुनलाल शान्ती मुन्नी पिता किशुनलाल जाति पहार नि0 बकसपुर समान भाग बाबूलाल दयालीराम पुत्रगण लल्लूराम जाति गौड निवासी ग्राम समान भाग
15	20	भूमिस्वामी	कृषि	0.849	बाकेलाल सूखा महेश पिता किशुनलाल शान्ती मुन्नी पिता किशुनलाल जाति पहार नि0 बकसपुर समान भाग बाबूलाल दयालीराम पुत्रगण लल्लूराम जाति गौड निवासी ग्राम समान भाग
16	21	भूमिस्वामी	कृषि	0.509	मुन्शी पिता सामलिया जाति काछी पता नि0 ग्राम मुरबई मजरा टपरी पुरा भूमि स्वामी
17	22/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.712	उम्मेद पिता सामलिया भाग 51/77 मु0 बैजन्ती बेवा हरिविलास नवलसिंह गोरे पुत्रगण हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजयसिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप मां खुद समान भाग 1/6 हि0 रकबा 21-1/2/77 काशीराम पुत्र लोडू हि0 4-1/2/77 जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
18	22/2	भूमिस्वामी	कृषि		लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम मुरबई भूमि स्वामी
19	38	भूमिस्वामी	कृषि	0.067	लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम मुरबई भूमि स्वामी
20	39	भूमिस्वामी	कृषि	0.330	काशीराम पूत्र लोडू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गोरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह

					सरप0 मां0 स0 भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामिलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामिलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा
21	40	भूमिस्वामी	कृषि	0.080	शीला देवी पत्नी सोनेराम जाति काछी पता निवासी ग्राम खरिपुरा
22	41	भूमिस्वामी	कृषि	0.278	काशीराम पूत्र लोटू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरै पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग

					<p>4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा</p>
23	44	भूमिस्वामी	कृषि	0.103	<p>काशीराम पुत्र लोटू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713</p>

					<p>भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामिलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामिलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा</p>
24	50	भूमिप्राप्ति	कृषि	0.087	<p>काशीराम पूत्र लोटू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 सो भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग</p>

					96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामिलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामिलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरीपुरा
25	52	भूमिस्वामी	कृषि	0.068	रामकुमार मूलचन्द्र जितेन्द्र कुमार आ0 मुरारी लाल मीराबाई कुशुम रेखा अंजू बबीता पुत्रीयां मुरारीलाल जाति बैश्य पता नि0 ग्राम सवलगढ
26	53	भूमिस्वामी	कृषि	0.033	रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फूलवती गुलवो चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1/2 नि0 खरीपुरा केदार पुत्र रामदयाल जाति काछी पता नि0 ग्राम सवलगढ
27	54	भूमिस्वामी	कृषि	0.039	रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फूलवती गुलवो चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1/2 नि0 खरीपुरा केदार पुत्र रामदयाल जाति काछी पता नि0 ग्राम सवलगढ
28	55	भूमिस्वामी	कृषि	0.298	मनीराम सीताराम पुत्रगण छोटे समान भाग 170/1680 जाति किरार निवासी ग्राम राजेश पुत्र फुन्दी हि0 3/1680 जाति पहार केदार जगदीश पुत्रगण सोनेराम समान भाग हि0 422/1680 कमला पत्नी केदार लोंगश्री पत्नी परसराम गणगोर पत्नी जगदीश समान भाग 212/1680 मु. जीगन्दे वेवा ग्यासिया घनस्याम पुत्र ग्यासिया वसन्ती अन्तो वाई द्योपती पुत्रियां ग्यासिया जाति काछी निवासी ग्राम समान भाग 33/420 सोनेराम पिता दुल्ली भाग 33/420 सम्पति वेवा गंगाराम रामदयाल अमुतलाल मोहरसिंह पुत्रगण गंगाराम अनेगा पुत्री गंगाराम समान भाग हि0 115/1760 मु. रामसखी वेवा रघुवीर राजकमल नाबा0 पुत्र रघुवीर प्रीती वंदना नाबा पुत्रियां रघुवीर सर. मा खुद समान भाग 23/1760 दर भाग 396/1680 लाखन उदयसिंह गजराज



					पुत्रगण हीरालाल रेवती गीता फूलवती पुत्रियां हीरालाल समान भाग 7/8 गौरी वेवा सिद्धार अतरसिंह पुत्र सिद्धार समान भाग 1/8 दर भाग 132/1680 मु. गुलवौ वेवा गजुआ 44/1680 रूपसिंह भाग 44/1680 मु0 मीरा वेवा हुकमसिंह शिवा शिवम नाबा पुत्र हुकमसिंह समान भाग 44/1680 जाति काछी नि. बकसपुर
29	56	भूमिस्वामी	कृषि	0.046	मुनीराम सीताराम आ0 छोटे समान भाग जाति धाकड पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
30	57	भूमिस्वामी	कृषि	0.103	भरोषी दाताराम रामचरन कल्ला पुत्रगण वालू समान भाग 1/6 किशोरी रामनिवास अशोक जगदीश आ0 पोथी मु. विलासी वेवा पोथी गुडडी पुत्री पोथी समान भाग 1/6 सन्तो वेवा लक्ष्मण सुरेश बांके पुत्रगण लक्ष्मण राधा कुशुम पुत्रियां ल लक्ष्मण जाति पहार निवासी ग्राम समान भाग 1/6 जंसवत पुत्र मूंगाराम हि0 1/6 गूलवो अंगूरी पुत्रियां लक्ष्मण हि0 1/3 जाति पहार निवासी ग्राम
31	59	भूमिस्वामी	कृषि	0.021	गोपाल पुत्र लोडू हि0 6/7 कमला वेवा सांमत जाति किरार निवासी ग्राम हि0 1/7
32	60	भूमिस्वामी	कृषि	0.193	मनीराम पुत्र छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
33	61/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.092	मनीराम पुत्र छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
34	61/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.089	सीताराम पिता छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
35	62	भूमिस्वामी	कृषि	0.111	सीताराम पिता छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
36	63	भूमिस्वामी	कृषि	0.183	मु0 सुमन ववो विजेन्द्र विकास जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस
37	64	भूमिस्वामी	कृषि	0.172	मु0 सुमन ववो विजेन्द्र विकास जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस
38	65	भूमिस्वामी	कृषि	0.195	लालपति रतनलाल पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 14/32 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 6/32 सानेराम पुत्र झीगुरिया दुलारे वा0 भीमसेन नाबा0 आ0 मठलू सरप0 भाई कमलेश मिथलेश अनीता आरती पुत्रियां मठलू स0 भाग 1/6 जाति काछी निवासी खरीपुरा पिस्ता देवी पत्नी गंगाधर भाग 1/6 जाति पहार निवासी बकसपुर
39	67/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.405	सुरेश पिता जनवेद जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी

40	67 / 2	भूमिस्वामी	कृषि		मु० सुमन ववो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस
41	68	भूमिस्वामी	कृषि	0.070	प्रहलाद पिता देवीसिंह जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
42	70	भूमिस्वामी	कृषि	0.120	मातादीन अनिल विनोद पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग जाति गौड पता नि० ग्राम कुल्होली भूमि स्वामी
43	71	भूमिस्वामी	कृषि	0.070	अतिराज पिता देवीसिंह जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
44	72	भूमिस्वामी	कृषि	0.141	शान्ती बैजन्ती विसुना कलाबाई पुत्रियां बलवन्त स० भाग जाति धाकड़ पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
45	68 / 61 6	भूमिस्वामी	कृषि	0.070	बुद्धा रघुवर रामजी गंजन पीतम आ० अंगद बाओ पुत्री अंगद समान भाग जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
46	72 / 61 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.243	सीताराम पिता छोटे जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
<b>कुल</b>	<b>46</b>			<b>9.803</b>	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विषय :-** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान

प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

२५

7	44	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	भगवानलाल पुत्र बौरू भाग 1/2 केदार, श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समानभाग 1/2 जाति किरार
8	45	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	मांगीलाल दत्तक पुत्र सूखा भाग 1/2 मथुरा प्रसाद आ. प्रभू रामकला चन्द्रकला पुत्रियों प्रभू समानभाग 3/8 जाति ब्रा. मु. कमलेश बेबा बृजेश कुमार, देवेन्द्र आकाश पुत्रगण बृजेश कुमार शशि, ज्योति पुत्रियों बृजेश कुमार समानभाग 1/8
9	46	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.02	मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला, विमला, ममता पुत्रिया मंगलिया समानभाग 2/3
10	47	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.011	रामनाथ, जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिंह समानभाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
11	53	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	महेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण ब्रा०
12	56	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	मनोज कुमार ब्रा. पवनकुमार, हरिओम, नाबा. आ. शिवप्रसाद सर भाई मनोज कुमार खुद हेमलता पुत्री शिवप्रसाद नाबा. सर. भाई मनोज कुमार समानभाग 3/4 सावित्री पुत्री शिवलू भाग 1/4
13	58	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	हरिचरण पुत्र रामनारायण जाति ब्रा.
14	60	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	कम्मोदा बेबा तेसिह, महेश, लोखम, भूपसिह, छोटा, सनेही पुत्रगण तेसिह शीला पुत्री तेसिह समानभाग 1/3 बंसती बेबा मूलचन्द्र भौजा पुत्र मूलचन्द्र गुड्डी सुरेखा पुत्रियों मूलचन्द्र समानभाग 1/3 इंदरबाई पुत्री भाईराम भाग 1/3
15	62	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.016	रामनाथ, जगदीश, पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिंह समानभाग 1/9 दरभाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
16	63	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.022	मुनेश पुत्र मंगलिया, सामलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला, विमला, ममता, पुत्रियान मंगलिया समानभाग 2/3 जाति काछी

17	64	भूमिस्वामी	कृषि	0.060	भगवान लाल पुत्र भौरू 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार
कुल	17			0.605	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2019

रा. प्र. क्रमांक 64-अ-82-2017-18-भू-अर्जन.—

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची—

1. भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-म.चीवाड़ा प0ह0न0-24, ब0न0-228 रा0नि0म.0- कपूर्दा	रुखमणी स्व0 पति मानसिंग, सोना,हीरा पिता मानसिंग कुर्मी निवासी ग्राम - माचीवाड़ा भूमि स्वामी	500/4	0.300	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.300 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किरां जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्रमांक 76अ-82-17-18-636.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : लच्छासार जलाशय शीर्ष कार्य  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : मालथौन  
 3. ग्राम : खटौरा  
 4. पट.ह.नं.- : 30  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 39.860 है.

स. क्र.	भू-धारक का कनाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा		अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4				
1	दिविया पिता लटकन पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	290/1	0.760	0.760	0.000	नीबू-3 अमरुद-2 सागौन-20 कुआ-1
2	ओंकारसिंह पिता पंचमसींग रोशनसींग ना.वा. पा. पिता अजमेरसींग पता सा. देह	भूमिस्वामी	290/2	0.810	0.810	0.000	सागौन-2 महुआ-1 कुआ-1
3	मुलाम पिता दमरु पता सा. देह	भूमिस्वामी	293	1.200	0.010	0.000	कुआ-1
4	अजमेरसिंह पिता पंचम सिंह पता सा. देह	भूमिस्वामी	294/1	0.700	0.650	0.000	नीबू-2 अमरुद-5 बेरी-2 कुआ-1
5	ओंकार सिंह पिता पंचम सिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	294/2	0.700	0.210	0.000	बौर-1
6	गेंदारानी पति अजमेर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	295/2	0.800	0.610	0.000	नीबू-4 जामुन-1 आंवला-5 सागौन-82 बांस-5
7	खिलान पिता भोले सोर कमलरानी पति खिलान पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/7	1.000	0.000	0.230	निरंक
8	मगरावारी वेवा हल्का देवसींग रामकली हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	296/8	0.600	0.000	0.420	निरंक
9	कमलसींग माता लक्ष्मीबाई बेडिया पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/9	1.000	0.000	0.490	निरंक
10	पुनू पिता दरऊ पता सा. देह शासकीय पड़ेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/10	1.000	0.000	0.480	निरंक
11	कल्याण पिता गनेश पता सा. देह शासकीय पड़ेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/11	1.000	0.000	0.520	निरंक
12	बल्ही पिता दल्पे पता सा-दरी शासकीय पड़ेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/12	1.000	0.000	1.000	निरंक

13	रामसीग पिता पन्चम पता सा0 दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/13	1.000	0.000	1.000	निरंक
14	कल्यान पिता रमले पता सा0 दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/14	1.000	0.000	0.800	निरंक
15	जमना घनश्याम देवकी पिस. खिलान पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297	0.020	0.000	0.020	महुआ-1
		भूमिस्वामी	306	0.170	0.170	0.000	निरंक
16	अरजन हिम्मत सरजूसीग पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298	1.320	0.250	0.000	निरंक
17	अरजन लटकन सरजू पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299	1.480	0.420	0.000	बेरी-1 बांसभिरा-2 कुआ-1
18	सगुनसीग पिता रन्धीरसीग पता सा. देह	भूमिस्वामी	300	1.360	0.040	0.000	कुआ-1
19	सजू पिता जमना प्रसाद मोरपाल पिता घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	301	1.570	1.570	0.000	आम-2 नीबू-1 सागोन-5 बांसभिरा-2 कुआ-1
20	प्रीतम हिम्मत शेरसीग जयराम प्रमात पिस. भन्ते पता सा0 देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	302	1.440	1.440	0.000	आम-2 अमरुद-1 सागोन-1 बांस भिरा-3 बबूल-1 कुआ-1
21	वीरन अलोप कल्लन पार्वतीबाई रतिबाई सगुनबाई पिता बल्दू लाडबाई वेवा वल्दू सा. मडावन मार	भूमिस्वामी	303/1	1.240	1.240	0.000	आम-1 कुआ-1
		भूमिस्वामी	307	1.140	1.140	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	313	0.250	0.000	0.250	निरंक
22	भरतसिंह पिता नथू यादव पता सा0 देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/2	0.370	0.370	0.000	निरंक
23	जमना पिता खिलानसीग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305	1.140	0.610	0.000	बेरी-10 अमरुद-2 बांसभिरा-2
		भूमिस्वामी	312	0.050	0.000	0.050	निरंक
24	नथू पिता दयाली पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/1	2.170	2.170	0.000	अमरुद-1 सागोन-2 कुआ-1
		भूमिस्वामी	314	0.080	0.000	0.080	निरंक
		भूमिस्वामी	377	0.630	0.000	0.490	निरंक
25	रामगोपाल पिता जमना मोरपाल पिता घनश्याम सतपाल पिता वीरन हरपाल पिता अमोल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/2	0.920	0.920	0.000	कुआ-1
26	रविन्द्र ना0 बा0 हेमन्त ना0 बा0 भारती ना0 बा0 आरती ना0 बा0 स्वाती ना0 बा0 पा0 व खुद माँ मोनबाई बेबा बाबू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/3	1.200	1.200	0.000	कुआ-1
27	दंगल पिता दयाली पता सा.देह	भूमिस्वामी	308/4	0.450	0.450	0.000	कुआ-1
28	बैजनाथ प्रसाद पिता हरिनारायण पता सा. बरौदियाकलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/5	0.920	0.000	0.450	निरंक
29	करनसीग पिता रजू पता सा. देह	भूमिस्वामी	309	0.210	0.160	0.000	कुआ-1
30	फेरन पिता भगोने पता सा. देह	भूमिस्वामी	310	0.840	0.840	0.000	कुआ-1
31	कुसमबाई पिता कुदऊ बल्ले पिता कुदऊ मिहीलाल फूलसीग पिस. बालचंद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315	0.050	0.000	0.050	निरंक
		भूमिस्वामी	317/5	0.840	0.840	0.000	निरंक
32	अमोलसीग अच्छेलाल प्रभु विश्राम अनंतसीग पिता करन पता सा. देह	भूमिस्वामी	316	0.200	0.200	0.000	कुआ-1
		भूमिस्वामी	360	1.930	0.170	0.000	कुआ-1
33	थानसीग पिता मिहीलाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	317/1	0.330	0.330	0.000	कुआ-1
34	हाकम सीग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/2	0.310	0.000	0.310	निरंक
35	सुम्मेर पिता फूलसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/3	0.320	0.000	0.320	निरंक
		भूमिस्वामी	329/1	0.150	0.000	0.080	निरंक



36	गोपाल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/4	0.710	0.670	0.000	अमरुद-1 सागौन-1 कुआ-1
		भूमिस्वामी	329/2	0.160	0.000	0.100	निरंक
37	तेजसींग पिता मिहीलाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	318	0.400	0.000	0.400	निरंक
38	मगोना पिता गनेश, तेजसींग ना.वा. पा. पिता अनंदी राजेन्द्र सविता रामप्यारी पिस. नथुवा, गुडडीबाई बेया नथुवा, तेजसींग ना.वा. पा. पिता मिहीलाल सा. देह हरदास ना.वा.पा. पिता तन्सू सा. पता मडखेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319/1	0.990	0.840	0.000	अमरुद-1 कुआ-1
39	हरदास पिता तनसू साकिन सागर	भूमिस्वामी	328/1	1.190	0.000	0.570	निरंक
40	बालकिशन पिता गनेश पता सा. देह	भूमिस्वामी	319/2	0.620	0.620	0.000	कुआ-1
41	अनंदी वल्द नथू पता सा० देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319/3	0.050	0.000	0.050	निरंक
42	रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा० देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319/4	0.200	0.200	0.000	कुआ-1
		भूमिस्वामी	319/5	0.130	0.130	0.000	निरंक
43	संजू पिता जमना प्रसाद साकिन खटौरा	भूमिस्वामी	319/6	0.380	0.000	0.320	निरंक
44	तेजसींग पिता मिहीलाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	328/2	0.120	0.000	0.120	निरंक
45	रामपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320/1	0.710	0.710	0.000	महुआ-1 कुआ-1
		भूमिस्वामी	381/2	0.980	0.500	0.000	आम-1 बेरी-3 सागौन-2 कुआ-1
46	घनश्याम देवकी पिता खिलानसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320/2	0.800	0.000	0.800	बेरी-2
47	वीरन अमोल सींग कल्यानसींग पिस. दल्दू आशाराम ना.वा. पिता हल्के वली आजा बल्दू पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	321	1.510	1.510	0.000	कुआ-1
48	कल्यान पिता बल्दू पता सा. देह	भूमिस्वामी	323/1	0.870	0.000	0.870	निरंक
49	रामगोपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	323/2	0.850	0.630	0.000	निरंक
50	बारेलाल पिता चौदे पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	324/2	1.000	0.000	1.000	निरंक
51	चौदे पिता दरऊ पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	324/3	0.960	0.000	0.480	निरंक
52	किशोरसींग पिता कम्मोदसींग पता सा. मडखेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	325	0.680	0.000	0.030	निरंक
53	रूपसिंह सुखसिंह नर्मदाबाई सुखवती पिता करनसिंह पानबाई बेवा करनसिंह पता सा. मडखेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326	0.680	0.000	0.070	निरंक
54	रामकिशोर ना०बा० पालक व पिता बल्ले पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	330/2	0.180	0.000	0.010	निरंक
55	गुडडीबाई पति अच्छेलाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	372	0.740	0.220	0.000	कुआ-1
56	घूमन पिता अमर सींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	373/1	0.100	0.000	0.050	निरंक
		भूमिस्वामी	374/1	0.060	0.000	0.020	निरंक
57	विशाल पिता अमरसींग पता सा० देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	373/2	0.100	0.050	0.000	कुआ-1
		भूमिस्वामी	374/2	0.070	0.010	0.000	निरंक
58	सेवा पिता गनेशजू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	373/3	0.100	0.030	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	374/4	0.220	0.010	0.000	निरंक
59	बुदेल सिंह पिता घूमनसिंह जाति घोषी पता सा. खुरई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	373/4	0.100	0.000	0.040	निरंक
		भूमिस्वामी	374/5	0.220	0.000	0.050	निरंक
60	हरीसींग पिता अमर सींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	374/3	0.160	0.000	0.030	निरंक
61	तुलाराम पिता सेवाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	374/6	0.160	0.030	0.000	आंवला -2 बेरी-1 कुआ-1
62	राजपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा० देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	378	0.940	0.570	0.000	बेरी-4 कुआ-1

63	कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्गी कमलरानी बेबा भग्गी पता सा.देह	भूमिस्वामी	379/2	1.200	1.140	0.000	निरंक
64	रामकुंवर पति सुखराम पता सा0 देह	भूमिस्वामी	380	0.690	0.000	0.690	निरंक
65	शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसीग शीलरानी बेवा रूपसीग राकेश शिवराज ना.वा. पिता भागीरथ पा. मां कमलरानी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/1	0.310	0.000	0.310	निरंक
66	देवी पिता लटकन पता सा0 देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	382	0.700	0.700	0.000	बेरी -3 सागोन-2 कुआं-1
67	शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसीग शीलरानी बेवा रूपसीग कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्गी गुलाबबाई पुत्री रजू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	383	0.780	0.000	0.400	निरंक
68	करनसीग प्रानसीग पिस. तुलसी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	386	2.750	0.000	0.130	निरंक
<b>Total</b>			<b>84</b>	<b>59.24</b>	<b>26.15</b>	<b>13.58</b>	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 25/2/2019 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 13अ-82-17-18-724.—

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला	सागर
2. तहसील	राहतगढ
3. ग्राम	मनकापुर
4. पटवारी हल्का नं.	29
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	6.490 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	मिट्टू वल्द परमानंद अरुणाबाई जीजे मिट्टू पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	6	1.100	0.000	0.820	खजूर 3 पलाश 1
2	चैनसिंग वल्द रामप्रसाद पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	7	1.060	1.060	0.000	बैरी 7 आम 2 खजूर 3 बबूल 1 कुआ 1
3	जगदीश राधे वल्द रविशंकर, विनीता, गौराबाई कलीबाई हल्कीबाई पुत्री रविशंकर कुन्तीबाई देवा रविशंकर किशन मिट्टु पिता परमानंद वलीराम पिता परसू अरुणाबाई पुत्री दमरू भगताराम वल्द शेवलाल पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	8/1	0.630	0.000	0.500	खजूर 2 पलाश 1
		भूमि स्वामी	32	0.180	0.000	0.180	खजूर 5
4	जगदीश राधे वल्द रविशंकर, मिट्टु पिता परमानंद फुलाबाई पत्नि किशन सुमत, कुशम, शीला लीला मीरा पिता किशन जगमोहन संतोष राजन पप्पू पिता किशन भगतसिंग सुभाष विनीता गौराबाई वलीबाई हल्कीबाई पुत्री रविशंकर राजेश पिता वलीराम मालती बाई पिता वलीराम भगताराम वल्द शेवलाल राधाबाई ओमबाई पुत्री वलीराम कुन्तीबाई देवा रविशंकर सा देह	भूमि स्वामी	9/1/1	2.300	0.000	0.660	खजूर 2 पलाश 1
5	कुसुमबाई पति शिवप्रसाद सा देह भूमि	भूमि स्वामी	8/2	0.130	0.000	0.130	पलाश 1
		भूमि स्वामी	9/1/2	0.320	0.000	0.320	-
6	श्रीराम जी वल्द बाबूलाल पता सा देह	भूमि स्वामी	34	0.520	0.000	0.100	खजूर 10 पलाश 5 सतकठा 2 सूबबूल 1
7	निरंजन पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	41/1	0.910	0.000	0.850	-
		भूमि स्वामी	46/2	0.110	0.000	0.110	खजूर 3 बैरी 1 पलाश 2 कोहा 1 बांसधरा 1

8	रामविशाल पिता बाबूलाल पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	41/2	0.720	0.000	0.440	आम 1 खजूर 7 सागौन 1 कोहा 1 पलाश 1 रेजा 1 चिरोल 1
			42	0.230	0.000	0.030	-
9	देवेन्द्र पिता बाबूलाल सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	46/1	0.950	0.000	0.520	बैरी 1 खजूर 14 पलाश 1 सागौन 1 कोहा 1
10	धिरौजी लाल वन्द खेतसींग सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	48	0.880	0.000	0.630	खजूर 1 बैरी 1 सागौन 2 अड्डुआ 1 कटाई 1 बांसभर्रा 1
11	सावित्री बाई पत्नि रन्धीरसिंह सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	49	0.830	0.000	0.080	-
12	रणजीत सिंह, अनीता सिंह पिता माखन सिंह पता सा भैसा	भूमि स्वामी	66	0.120	0.000	0.060	-
	कुल योग		15	10.99	1.060	5.430	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ..... 21/2/19 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

**क्रमांक 83-82-17-18-725.—**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. जिला                     | सागर          |
| 2. तहसील                    | राहतगढ        |
| 3. ग्राम                    | चौकी          |
| 4. पटवारी हल्का नं.         | 0029 चौकी     |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 1.740 हेक्टे. |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	जानकी प्रसाद वल्द भावसींग पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	9	4.490	0.000	0.570	सागोन 5 पीपल 2 खजूर 1
2	बलराम वल्द त्रिलोकसींग पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	21	0.600	0.000	0.600	कोहा 12 बबूल 5 पलाश 6 नीम 1 बांसभरा 2 बैरी 16 सागोन 3
3	सीताबाई वेवा सरदारसींग हरीसिंग, दीनासींग पिता सरदारसींग पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	22	2.000	0.000	0.570	पलाश 1 खजूर 1
कुल योग:-			3	7.090	0.000	1.740	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 33अ-82-17-18-726.—

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
  2. तहसील राहतगढ
  3. ग्राम मसानियां
  4. पटवारी हल्का नं. 29
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5.830 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	उत्तम वल्द बहादुरसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	1.540	0.240	0.000	कुआ 1
2	अनिल वल्द श्रीराम सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2/2	1.000	0.000	0.170	-
3	श्रीराम वल्द छिमाधर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2/1	0.450	0.000	0.050	सागोन 2
			5/7	0.520	0.000	0.030	-
4	निर्मयसींग वल्द बहादुरसींग पता सा देह	भूमि स्वामी	5/4	1.540	0.000	0.120	-
5	दिनेश वल्द छिमाधर सा देह	भूमि स्वामी	5/5	0.170	0.000	0.030	-
6	नंदराम वल्द छिमाधर सा देह	भूमि स्वामी	5/6	0.700	0.000	0.080	-
7	मंगल पिता गनेश पता सा देह	भूमि स्वामी	9/1	2.000	0.230	0.000	कुआ 1
8	रामबाई पति परमानंद जाति यादव सा देह	भूमि स्वामी	9/2	2.010	0.220	0.000	आम 2 अमरुद 1 कुआ 1
9	हरगोविन्द वल्द परसराम साहू सा देह	भूमि स्वामी	10/1	0.670	0.000	0.140	-
10	बाबूलाल वल्द परसराम साहू पता सा देह	भूमि स्वामी	10/2	0.660	0.000	0.120	-

11	बृहद्दलाल वल्द परसराम साहू पता सा देह	भूमि स्वामी	10/3	0.660	0.000	0.110	-
12	धरमलाल वल्द परसराम साहू पता सा देह	भूमि स्वामी	10/4	0.660	0.000	0.090	कोहा 1
13	सुमेरसींग वल्द परसराम साहू सा देह	भूमि स्वामी	10/5	0.670	0.000	0.090	-
14	मूरतसींग वल्द बृजलाल पता सा देह	भूमि स्वामी	11/1	0.890	0.000	0.270	बैरी 1
15	रामनाथ पिता रामप्रसाद यादव पता सा देह	भूमि स्वामी	11/2	2.000	0.000	0.370	बैरी 1
16	रन्धीरसींग वल्द तरवरसींग मदनलाल जगन्नाथ प्रसाद परसराम पिता छोटेलाल करनसींग वल्द गनपतसींग पता सा मरदानपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	0.750	0.000	0.400	-
17	दीपक वल्द रामसींग पता सा मुडिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/2	0.990	0.530	0.000	बैरी 1 कुआ 1
18	बलराम वल्द ब्रजलाल पानबाई पत्नि बलराम केशरबाई पुत्री बलराम सा देह	भूमि स्वामी	13/1/1 /1	1.000	0.000	0.190	पलाश 1
19	हरिसिंह वल्द बलराम सा देह	भूमि स्वामी	13/1/1 /2	0.200	0.000	0.080	-
20	हनुमत पिता ब्रजलाल पता सा देह	भूमि स्वामी	13/1/2	1.200	0.000	0.270	-
21	संदर्भ व समर्थ ना वा वल्द सुनीलकुमार बली खुद मां प्रीति वेवा सुनीलकुमार कठल पता सा अंकुरकालोनी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	0.440	0.000	0.150	-
22	रामदयाल वल्द रामप्रसाद पता सा शिकारपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.620	0.500	0.000	-
			15	2.480	1.350	0.000	बैरी 1 कुआ 1
कुल योग			24	24.820	3.070	2.760	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्र 387-भू-अर्जन-2019-प्र क्र 19-अ-82-2018-19.—

सार्वजनिक सूचना  
(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2017 एवं म.प. राजपत्र भाग-1 दिनांक 14.11.14 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन एवरिया तालाब योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है -

क-	ग्राम	एवरिया एवं झर
ख-	तहसील	रतलाम
ग-	जिला	रतलाम
घ-	लगभग क्षेत्रफल	16.164 हेक्टर
ग्राम एवरिया		

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रं.	अर्जित की जाने वाली		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	अब्दुल पिता बाबु खां जाति नायता सा देह भूमि स्वामी	37	0.470	-	0.470
2	गणेश पिता रामचंद्र भील निवासी एवरिया	38/1	0.265	-	0.265
3	नारायण पिता रामचंद्र	38/2	0.265	-	0.265
4	ईश्वरलाल पिता राधू भील निवासी एवरिया	39 40	0.620	-	0.620
5	किशन पिता थावर भील निवासी एवरिया	43	0.070	-	0.070
6	मोहनसिंह पिता माधूसिंह राजपूत	44	0	0.080	0.080
7	भवर बालाराम पिता नन्दा राजुबाई बेवा नन्दा भील निवासी एवरिया	45/1	0.580	-	0.580
8	पप्पु दत्तक पुत्र रामा भील निवासी एवरिया	45/2	0.190	-	0.190
9	जगदीश पिता मानसिंह भील निवासी एवरिया	45/3	0.190	-	0.190
10	पिरिया पिता लाला भील निवासी एवरिया	45/4	0.190	-	0.190
11	भैरू, मांगु, शोभाराम पिता कालिया, दरयाबी कमला पिता कालिया भील निवासी एवरिया	47/1	0.130	-	0.130



12.	मोहनलाल, रूकमाबाई, धापुबाई पिता नाथू कमलाबाई बेवा नाथू पिरूलाल, लक्ष्मण, कैलाश पिता कन्या रेशमबाई धन्नीबाई, नीमाबाई पिता कानिया रेखा पति राधेश्याम आर्यन अक्षय, नाबालिग पिता राधेश्याम नाबालिग माता रेखाबाई भील निवासी एवरिया	47/2	0.458	-	0.458
13	प्रभू पिता नानुराम भील निवासी एवरिया	47/3	0	0.606	0.606
14	गोपाल पिता छोगालाल कंचन अविनाश ना.बा. पिता छोगालाल सर माता शिबरीबाई बेवा छोगालाल मोगिया निवासी एवरिया	48/1/1	0.130	-	0.130
15	पेपाबाई पति दिनेश मोगिया निवासी नायन	48/1/2	0.380	-	0.380
16	मांगु पिता नन्दा जाति मोगिया	48/2	0.510	-	0.510
17	बापु पिता नन्दा मोगिया निवासी एवरिया	48/3	0.730	-	0.730
18	शंकरलाल पिता राधूभील निवासी एवरिया	49/1	0.490	-	0.490
19	भैरू पिता किशन भील निवासी एवरिया	49/2	0.540	-	0.540
20	शांतिलाल पिता राधू भील निवासी एवरिया	49/3	0.490	-	0.490
21	शंभु पिता किशन जी भील निवासी एवरिया	49/4	0.550	-	0.550
22	लीलाबाई पति मांगीलाल मांगिया निवासी एवरिया	50/1	0.315	-	0.315
23	गोपाल पिता मोहन मोगिया निवासी एवरिया	50/2	0.315	-	0.315
24	मीराबाई बेवा उमरावसिंह परमानन्द धनश्याम पिता उमरावसिंह निर्मल सिंह उमरावसिंह मोगिया निवासी एवरिया	50/3	0.315	-	0.315
25	देवीलाल पिता मोहन मोगिया निवासी एवरिया	50/4	0.315	-	0.315
26	हरिराम पिता भागीरथ मोगिया निवासी एवरिया	51/1	0.05	-	0.05
27	नानुराम पिता भागीरथ मोगिया निवासी एवरिया	51/3	0.170	-	0.170
28	शरीफ पिता नितामुद्दीन नायता निवासी एवरिया	33/2/1	0.400	-	0.400
29	भैरूलाल पिता शंकर मोगिया निवासी एवरिया	33/2/2	0.620	-	0.620
	योग		9.748	0.686	10.434

ग्राम झर तहसील व जिला रतलाम पटवारी हल्का नंबर 59					
1	हुसैन पिता इब्राहिम नायता निवासी एवरिया	171/1	0.170	-	0.170
2	दुला पिता नानुराम भील निवासी एवरिया	173 177	1.090	-	1.090
3	मोहनलाल, जगदीश, गेंदालाल, रतनलाल, सीताबाई पिता मांगु जाति भील निवासी	175	1.090	-	1.090
4	बाबु खां पिता खुदाबक्ष नायता निवासी एवरिया	176	0.100	-	0.100
5	गणपत पिता बिजली भील	174	0.190	-	0.190
6	शरीफ पिता निजामुद्दीन जाति नायता	178/1	0.140	-	0.140
7	दरवेश पिता निजामुद्दीन जाति नायता	178/2	0.140	-	0.140
8	युसुफ पिता निजामुद्दीन जाति नायता	178/3	0.130	-	0.130
9	याक़ुब पिता निजामुद्दीन जाति नायता	178/4	0.130	-	0.130
10	लालजी पिता इब्राहिम	171/5	0.180	-	0.180
11	बादर, अरब अली, इस्लाम पिता यासीन, अजरा बैवा यासीन नायता	171/6	0.180	-	0.180
12	मन्त्री पिता गुल खॉ जाति नायता	171/2	0.530	-	0.530
13	दरवेश पिता खुदाबक्ष	171/3	0.270	-	0.270
14	बाबु खां पिता खुदाबक्ष नायता	171/4	0.270	-	0.270
15	पप्पु दत्तक पुत्र रामा भील	179/1	0.370	-	0.370
16	जगदीश पिता मानसिंह जाति भील निवासी सिमलावदाखुर्द	179/2	0	0.380	0.380
17	पिरीया पिता पन्नालाल जाति भील	179/3	0.370	-	0.370
	योग		<b>5.350</b>	<b>0.380</b>	<b>5.730</b>

1- उपरोक्त कृषको की भूमि ग्राम एवरिया तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म.प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2019

प्र. क्र. 117-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम हिनौता तहसील एवं अनुभाग पवई स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 03-03-17 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	हिनौता	निजी भूमि रकबा 1.660	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम हिनौता.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 118-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम पवई तहसील एवं अनुभाग पवई स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-08-17 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पवई	निजी भूमि रकबा 14.412	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम पवई.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. 61-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर, का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	देवखर	5.672	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 69-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर, का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) के की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लूक न. 4	0.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के महाना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82)-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	ग्राम एवं प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मण्डला	घुघरी	पिपरिया रैयत प.ह.नं. 32 पीपरदरा प.ह.नं. 25 मचला प.ह.नं. 31	32 25 31	4.057 52.71 25.474	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	अनारी जलाशय बांध लाईन, स्पील चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु.
		कुल . .		82.241		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82)-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	ग्राम एवं प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मण्डला	घुघरी	पीपरदरा प.ह.नं. 25 खराँछापर माल प.ह.नं. 25 बोडासिल्ली प.ह.नं. 24 पिपरिया प.ह.नं. 32 रमखिरिया प.ह.नं. 32 मुनू प.ह.नं. 29 बखारी प.ह.नं. 30 कुडोपानी प.ह.नं. 30	25 25 24 32 32 29 30 30	1.681 3.847 0.180 3.095 2.339 4.46 0.826 0.926	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	अनारी जलाशय दांयी एवं बांयी तट मुख्य नहर एवं माईनर हेतु.
		कुल . .		17.354		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश चन्द्र जाटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 फरवरी 2019

पत्र क्र. 167-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सुदामापुर	1.950	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 169-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	परसौजा कला.	3.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 171-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	परसौजा खुर्द.	3.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 173-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बरा	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 175-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा

11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	5.800	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 177-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मालमऊ	4.950	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 179-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत



करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खड़ौरी	4.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 181-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पड़रिहान	4.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 183-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	रिमारी	4.600	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 185-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	नयागांव	15.800	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 187-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	नगौरा	7.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 189-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पडुहार	5.700	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 191-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बैरहना	6.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 193-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	झोंटा	5.995	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 195-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हलिया	6.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 197-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हरिहरपुर	9.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 199-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गहिरा	6.300	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 201-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	चूँद खुर्द	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 203-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	निरंजनपुर	1.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 205-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	मझगवां	1.250	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 207-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	सरबहना	8.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 209-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पासी	1.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 211-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा



अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	खम्हरिया	1.900	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 213-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	फुटींथी	2.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 215-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके

द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	फुटौंथा	4.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 217-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गेरूआर	सेमरिया	8.450	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18 पत्र क्र. 395-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि ग्राम डिलौरा तहसील रघुराजनगर की आराजी क्रमांक 844/3 रकबा 0.098 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स के प्रस्तावानुसार सतना-मैहर वायपास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई थी, वर्तमान में सड़क का निर्माण किया जा चुका है. उक्त आराजी सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रभावित न होने से मूल भूमि स्वामी को वापस किया जाना है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नं.	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सतना	रघुराजनगर	डिलौरा	844/3	0.098

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सतना, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. 60-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मझगावां  
(ग) नगर/ग्राम—पिण्ड्रा  
(घ) क्षेत्रफल—0.680 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2043/1	0.049

(1)	(2)
2045	0.036
3590/1क	0.227
2034/2क	0.023
2034/2ब	0.019
2035	0.013
2015	0.009
2016	0.052
1992	0.013
2012	0.005
3568	0.077
2010/2	0.050
2010/3	0.011
2006	0.041
2007	0.013
2005	0.042
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कुरी बांध 2 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 10 अगस्त 2018

प्र. क्र. 27-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) ग्राम—उटीला  
(घ) क्षेत्रफल—0.388 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
496, 498	0.056
497	0.056
513	0.167
499, 500	0.109
योग . .	<u>0.388</u>

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटी, की 1 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार  
(ग) ग्राम—चिटौली  
(घ) क्षेत्रफल—0.105 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1	0.105
योग . .	<u>0.105</u>

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-1 मायनर की सब-मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2018

पत्र. क्र. 1644-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### पूरक अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—नईगढ़ी  
(ग) ग्राम—बेलहा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क (4)
(1)	(2)	(3)	
206/1	0.185	0.030	
206/2	0.370		
योग . .	<u>0.555</u>	<u>0.030</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्र. 57-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—भड़रा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.107 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
321/1	0.008
321/6	0.018
323/1	0.033
323/5	0.014
323/6	0.017
323/7	0.017
योग . . .	0.107

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. 51-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—पड़री

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.061 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
51	0.061
योग . . .	0.061

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 53-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—अदुँसा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.379 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
64	0.058
70	0.048
72	0.010
74	0.048
84	0.015
85	0.056
115	0.144
योग . . .	0.379

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 55-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—पटेहरा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.029 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
725/2	0.029
योग . .	0.029

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 59-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा

- (ग) ग्राम—गडेहरा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.282 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
208/4/ख	0.022	-
208/5/क	0.130	-
208/5/ख	0.030	-
208/7	0.030	-
208/8	0.070	-
योग . .	0.282	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 63-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### पूरक अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—नईगढ़ी  
(ग) ग्राम—बेलहा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.012 हेक्टेयर।

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
210/2	0.053	0.012	
योग . .		0.012	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाणसागर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 65-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—लूक न. 1  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.025 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
42/2	0.003
267/3	0.022
योग . .	0.025

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 18 जनवरी 2019

प्र. क्र. 721-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—पिपल्याभान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.378 हेक्टर.

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
428	1.572
429	0.806
योग . .	2.378

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु.”
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 723-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—काकड़पाड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.621 हेक्टर.

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
430	0.621
योग . .	0.621

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु.”

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 725-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—माछलिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.603 हेक्टर.

वनाधिकार पट्टे की	अर्जन हेतु प्रस्तावित
भूमि का कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
428	0.603
योग . .	0.603

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्र. 732-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—खापाकला, प.ह.नं.-69.  
ब. नं.-94, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा-3.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.711  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150/1	0.130
150/2	0.020
148/1	0.032
153/1	0.048
152	0.032
154	0.065
153/2	0.030
155/1	0.030
160/4	0.050
161/1-2	0.090
195	0.052
194/1	0.055
193/3	0.131
256	0.087
193/4	0.096
199/3	0.014
199/4	0.050
200/2	0.026
183/1	0.064
183/5	0.045
183/2	0.016
182/1	0.032
235	0.048
236	0.050
257	0.080



(1)	(2)
265/1	0.050
265/3	0.054
266/1	0.020
264/9	0.020
270/3	0.044
270/7	0.035
270/2	0.060
270/1	0.055

कुल रकबा . . . 01.711 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 जनवरी 2019

क्र. भू-अर्जन-569-0028 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—लखनादौन  
(ग) ग्राम—मुंडा, प.ह.नं.-28, रा.नि.म. लखनादौन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)

#### ग्राम—मुंडा (निजी भूमि)

137	0.07
174	0.01
164	0.02
140	0.04
146	0.08
171	0.02
144/1	0.08
144/2	0.01
150/1	0.02
150/2	0.20
172	0.01

(1)	(2)
173	0.02
175	0.01
176	0.01
200	0.01
201	0.03
104	0.06
205/1	0.12
205/2	0.06
205/4	0.06
93/4	0.05
93/5	0.19
92	0.06
योग (निजी भूमि) . .	1.24
कुल योग . .	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—मुंडा जलाशय परियोजना (नहर कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. भू-अर्जन-665-0297 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—लखनादौन

(ग) ग्राम—मलखेड़ा, प.ह.नं.-89, रा.नि.म. लखनादौन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.81 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु
नम्बर	प्रस्तावित अर्जित
	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)

### ग्राम—मलखेड़ा (निजी भूमि)

74	0.17
86/1	0.10
162	0.05
158	0.03
223/3	0.15
225	0.07
243/1	0.04
243/2	0.04
241	0.12
240/2	0.15
240/3	0.04
90/3	0.10
90/6	0.03
104/3	0.05
120/2	0.04
118	0.15
124/1	0.04
112	0.07
113	0.07
110/1	0.11
110/2	0.06
109/2	0.07
108/3	0.06
योग (निजी भूमि) . .	1.81
कुल योग . .	1.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—मुंडा जलाशय परियोजना (नहर कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्र. 56-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम (4) में अंकित भूमि स्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—अमोहरा डोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.590 हेक्टेयर.

स. क्र. खसरा अर्जित भूमि स्वामी का नाम

नम्बर रकबा  
(हे. में.)

(1)	(2)	(3)	(4)
1	254	0.200	श्रीमती कलावती पति जमुना केवट
2	279/2/1/1	0.190	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
3	280/1	0.240	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
4	286/1/3	0.120	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
5	287/2	0.050	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
6	288/2/1	0.170	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
7	273/1/1	0.930	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
8	276/2	0.070	रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.
9	273/1/2	0.440	मु. कलावती पति वंशगोपाल व शंकरदयाल, महेन्द्र, नारेन्द्र पिता

(1)	(2)	(3)	(4)
			वंशगोपाल द्रोपदी, बेलाकली पुत्री वंशगोपाल ब्रा.
10	280/2	0.240	मु. कलावती पति वंशगोपाल व शंकरदयाल, महेन्द्र, नारेन्द्र पिता वंशगोपाल द्रोपदी, बेलाकली पुत्री वंशगोपाल ब्रा.
11	286/2/3	0.220	मु. कलावती पति वंशगोपाल व शंकरदयाल, महेन्द्र, नारेन्द्र पिता वंशगोपाल द्रोपदी, बेलाकली पुत्री वंशगोपाल ब्रा. ब्रा.
12	213/1	0.050	रामप्रताप पिता विशेषर बानी
13	199	0.220	राजेन्द्र प्रसाद पिता मिथिला प्रसाद ब्रा.
14	200	0.300	राजेन्द्र प्रसाद पिता मिथिला प्रसाद ब्रा.
15	230/5	0.190	अशोक पिता सूर्यभान बानी
16	275/5	0.160	अशोक पिता सूर्यभान बानी
17	276/6	0.100	अशोक पिता सूर्यभान
18	230/6	0.230	राकेश पिता सूर्यभान
19	275/6	0.160	राकेश पिता सूर्यभान
20	276/7	0.100	राकेश पिता सूर्यभान
21	230/7	0.180	रामाश्रय पिता सूर्यभान
22	275/7	0.160	रामाश्रय पिता सूर्यभान
23	276/8	0.090	रामाश्रय पिता सूर्यभान
24	220/1	0.270	रामकृष्ण पिता गोकरण
25	275/3	0.150	भागवत पिता सूर्यभान
26	276/4	0.100	भागवत पिता सूर्यभान
27	275/4	0.160	गोविन्द पिता सूर्यभान
28	276/5	0.100	गोविन्द पिता सूर्यभान
	योग . .	<u>5.590</u>	

(2)	(1)	(2)	(3)	(4)
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांध एवं नहर निर्माण हेतु.				रामस्वरूप काछी.
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.	8	1798/4	0.800	लल्ली पिता जगजाहिर केवट
	9	1693	1.634	रामसजीवन पिता औसेरी केवट
क्र. 57-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम (4) में अंकित भूमि स्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	10	1798/1	0.479	केतुआ उर्फ केलुआ पुत्री जगजाहिर, ददउआ उर्फ बब्बी, केतुआ उर्फ प्रेमवती, बबिया उर्फ बब्बी पुत्री विशाले केवट.
	11	1799/1	0.913	केतुआ उर्फ केलुआ पुत्री जगजाहिर, ददउआ उर्फ बब्बी, केतुआ उर्फ प्रेमवती, बबिया उर्फ बब्बी पुत्री विशाले केवट.
	12	1799/2	0.400	केतुआ पिता जगजाहिर वगै.
	13	1672/2	0.040	बेवा रामकली पति दौली, बबिया, प्रेमवती, श्यामकली, वीरभान पिता दौली अगरिया.
	14	1666/3	0.040	श्यामलाल पिता धसिला कोल
	15	1671/1/2	0.080	राजदेव, सुनील कुमार पिता जमुना प्रसाद केवट.
	16	1667/1	0.020	महावीर पिता देऊना कोल
	17	1669	0.020	महावीर, छोट्टू, धिरजुआ, बैतुलिया पिता देऊना श्यामलाल, रामलाल, रामयदयाल पिता लक्ष्मिन व मु. सोनिया बेवा प्रेमलाल, वीरु, बुट्टू, मुन्नू पिता प्रेमलाल कोल.
			योग . . .	6.096
(1) भूमि का वर्णन—				(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(क) जिला—सीधी				(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.
(ख) तहसील—मझौली				मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(ग) नगर/ग्राम—मड़वास				
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.096 हेक्टेयर.				
स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)	भूमि स्वामी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	1689	0.400	जमुना पिता औसेरी केवट	
2	1691/2	0.150	जमुना पिता औसेरी केवट	
3	1691/5	0.080	बृजनन्दन पिता ददन केवट	
4	1692	0.400	जगदीश पिता ददन केवट	
5	1798/1	0.0850	रामजियावन पिता बंशपती काछी मि. 2	
6	1798/2	0.400	रामजियावन पिता वंशपती काछी	
7	1798/3/2	0.160	रामसजीवन, रामसागर, राजेश पिता	

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्र. B-549-एक-7-3-2018 भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2019 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकर संक्रांति/पोंगल	15 जनवरी 2019	मंगलवार
2	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	21 जनवरी 2019	सोमवार
3	देव नारायण जयंती	11 फरवरी 2019	सोमवार
4	नर्मदा जयंती	12 फरवरी 2019	मंगलवार
5	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	18 फरवरी 2019	सोमवार
6	संत रविदास जयन्ती/छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2019	मंगलवार
7	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	01 मार्च 2019	शुक्रवार
8	होली (होलिका दहन/वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस)	20 मार्च 2019	बुधवार
9	निषादराज जयन्ती	10 अप्रैल 2019	बुधवार
10	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2019	गुरुवार
11	विशु/शब-ए-बारात	15 अप्रैल 2019	सोमवार
12	हाटकेश्वर जयन्ती	18 अप्रैल 2019	गुरुवार
13	वल्लभाचार्य जयन्ती	30 अप्रैल 2019	मंगलवार
14	सेन जयंती	01 मई 2019	बुधवार
15	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	07 मई 2019	मंगलवार
16	शंकराचार्य जयन्ती	09 मई 2019	गुरुवार
17	जमात-उल-विदा	31 मई 2019	शुक्रवार
18	ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)	04 जून 2019	मंगलवार
19	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती	06 जून 2019	गुरुवार
20	महेश जयन्ती	11 जून 2019	मंगलवार
21	कबीर जयन्ती	17 जून 2019	सोमवार
22	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	24 जून 2019	सोमवार
23	रथयात्रा	04 जुलाई 2019	गुरुवार
24	गुरुपूर्णिमा	16 जुलाई 2019	मंगलवार
25	नागपंचमी	05 अगस्त 2019	सोमवार
26	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	07 अगस्त 2019	बुधवार
27	आदिवासी दिवस	09 अगस्त 2019	शुक्रवार
28	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2019	मंगलवार
29	गदीर-ए-खुम	19 अगस्त 2019	सोमवार
30	बलराम जयन्ती	21 अगस्त 2019	बुधवार
31	नवाखाई	05 सितम्बर 2019	गुरुवार
32	डोलग्यारस/योम-ए-अशुरा	09 सितम्बर 2019	सोमवार
33	ओणम	11 सितम्बर 2019	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)
34	अनंत चतुर्दशी	12 सितम्बर 2019	गुरुवार
35	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2019	मंगलवार
36	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2019	बुधवार
37	प्राणनाथ जयन्ती	27 सितम्बर 2019	शुक्रवार
38	करवाचौथ पर्व	17 अक्टूबर 2019	गुरुवार
39	नामदेव जयन्ती	08 नवम्बर 2019	शुक्रवार
40	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2019	शुक्रवार
41	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2019	शुक्रवार
42	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	03 दिसम्बर 2019	मंगलवार
43	दत्तात्रय जयन्ती	11 दिसम्बर 2019	बुधवार
44	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	17 दिसम्बर 2019	मंगलवार
45	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2019	बुधवार
46	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2019	मंगलवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.
- (3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. B-551-एक-7-3-2018 भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2019 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	21 जनवरी 2019	सोमवार
2	देवनारायण जयन्ती	11 फरवरी 2019	सोमवार
3	नर्मदा जयन्ती	12 फरवरी 2019	मंगलवार
4	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	18 फरवरी 2019	सोमवार
5	संत रविदास जयन्ती/छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2019	मंगलवार
6	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	01 मार्च 2019	शुक्रवार
7	होली (होलिका दहन)/वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2019	बुधवार
8	निषादराज जयन्ती	10 अप्रैल 2019	बुधवार
9	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2019	गुरुवार
10	विशु/शब-ए-बारात	15 अप्रैल 2019	सोमवार
11	हाटकेश्वर जयन्ती	18 अप्रैल 2019	गुरुवार
12	वल्लभाचार्य जयन्ती	30 अप्रैल 2019	मंगलवार
13	सेन जयन्ती	01 मई 2019	बुधवार
14	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	07 मई 2019	मंगलवार

(1)	(2)	(3)	(4)
15	शंकराचार्य जयन्ती	09 मई 2019	गुरुवार
16	जमात-उल-विदा	31 मई 2019	शुक्रवार
17	ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)	04 जून 2019	मंगलवार
18	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती	06 जून 2019	गुरुवार
19	महेश जयन्ती	11 जून 2019	मंगलवार
20	कबीर जयन्ती	17 जून 2019	सोमवार
21	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	24 जून 2019	सोमवार
22	रथयात्रा	04 जुलाई 2019	गुरुवार
23	गुरू पूर्णिमा	16 जुलाई 2019	मंगलवार
24	नागपंचमी	05 अगस्त 2019	सोमवार
25	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	07 अगस्त 2019	बुधवार
26	आदिवासी दिवस	09 अगस्त 2019	शुक्रवार
27	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2019	मंगलवार
28	गदीर-ए-खुम	19 अगस्त 2019	सोमवार
29	बलराम जयन्ती	21 अगस्त 2019	बुधवार
30	नवाखाई	05 सितम्बर 2019	गुरुवार
31	डोलग्यारस/योम-ए-अशुरा	09 सितम्बर 2019	सोमवार
32	ओणम	11 सितम्बर 2019	बुधवार
33	अनंत चतुर्दशी	12 सितम्बर 2019	गुरुवार
34	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2019	मंगलवार
35	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2019	बुधवार
36	प्राणनाथ जयन्ती	27 सितम्बर 2019	शुक्रवार
37	करवाचौथ पर्व	17 अक्टूबर 2019	गुरुवार
38	नामदेव जयन्ती	08 नवम्बर 2019	शुक्रवार
39	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2019	शुक्रवार
40	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2019	शुक्रवार
41	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	03 दिसम्बर 2019	मंगलवार
42	दत्तात्रय जयन्ती	11 दिसम्बर 2019	बुधवार
43	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	17 दिसम्बर 2019	मंगलवार
44	गुरू घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2019	बुधवार
45	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2019	मंगलवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.
- (3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा. जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
- (4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता).

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. D-853-दो-2-60-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर का दिनांक 15 से 18 जनवरी 2019 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. A-309-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 01 से 04 फरवरी 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1062-दो-2-5-2019.—श्री यशपाल सिंह, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 06 से 12 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यशपाल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. A-311-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 5 नवम्बर 2016 से 4 नवम्बर 2018 तक दो वर्ष

की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-313-दो-2-71-17.—श्री मृत्युंजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक क्र. ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2019 तक 01 वर्ष 03 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-315-दो-2-18-2015.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-317-दो-2-23-14.—श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2019 तक 01 वर्ष 03 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1052-दो-2-42-2014.—श्री रमेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।





क्र. D-1068-दो-2-18-2015.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 10 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1070-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1072-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1074-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 11 से 12 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1076-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1080-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 03 नवम्बर 2018 का, दिनांक 10 नवम्बर 2018 का, दिनांक 29 नवम्बर 2018 का, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का, दिनांक 19 दिसम्बर 2018 का, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 का, दिनांक 02 जनवरी 2019 का तथा दिनांक 05 जनवरी 2019 का कुल आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1090-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1092-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 01 से 02 जनवरी 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1094-दो-2-55-2017.—श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 25 से 31 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1096-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 08 से 11 जनवरी 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1098-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 12 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के

पूर्व में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1100-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 22nd January 2019

No. 22-CJ-II-969.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 316, dated 6<sup>th</sup> November 2017 of Shri Ramesh Chandra Chourasiya, the then I Additional District & Sessions Judge, Pipariya, District Hoshangabad, (presently under suspension with headquartes at Hoshangabad) with immediate effect.

Further, it is resolved by the High Court that he will not be entitled to any pay and allowances other than suspension allowance which has already received. However, this period shall be treated as Service for all other purpose.

By order of the High Court,  
PRAKASH CHANDRA GUPTA, Principal Registrar  
(Vigilance).